खण्ड-218, अंक-1
सोमवार, 17 माघ, शक संवत् 1882
(6 फरवरी, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 218 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

सोमवार, ६ फरवरी, १९६१

विषय	पृष्ठ—संख्या
श्री राज्यपाल की ओर से पत्रों का उत्तर न मिलने तथा अध्यादेशों के जारी होने के कारण समाजवादी दल द्वारा सदन त्याग	१
राज्य विधान मंडल के सदस्यों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण ..	१—७
उपस्थित सदस्य	८—१२
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१३
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	१३
महापालिका के कार्य के लिये नियुक्त वकीलों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें विनियमित करने के लिये नियमावली (मेज पर रखी गयी) ..	१४
कार्यसूची में परिवर्तन पर आपत्ति	१४—१५
श्री हबीबुर्रहमान खां के निधन के संबंध में सूचना	१५
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१५
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१५—१६
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित नियमावली (मेज पर रखी गयी)	१६
जौनसार बावर बन्दोबस्त नियमावली, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१६
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) नियमावली (मेज पर रखी गई)	१७
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन नियमावली ..	१७
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (छठी) आज्ञा, १९६० (मेज पर रखी गई)	१७
यू० पी० पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन	१७
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१८
उत्तर प्रदेश विनियोग लेखे १९५७—५८ लेखा परीक्षा (आडिट) प्रतिवेदन, १९५९ एवं वित्त लेखे १९५७—५८ की हिन्दी प्रतिलिपि (मेज पर रखी गई)	१८—१९
उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपेरेशन) अनुपूरक अध्यादेश, १९६० (मेज पर रखा गया)	१९
कोर्ट-फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० (मेज पर रखा गया) ..	१९
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० (मेज पर रखा गया) ..	१९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६० (मेज पर रखा गया)	१९
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६० (मेज पर रखा गया)	१९
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (मेज पर रखा गया)	१९
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ (मेज पर रखा गया) ..	१९
दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	२०
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	२०
श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (निर्णय स्थगित)	२०–२३
श्री राज्यपाल द्वारा आहूत बैठक को निरस्त कराने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (निर्णय स्थगित) ..	२३–२८
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना	२८–२९
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	३०
उत्तर प्रदेश स्टेट हेल्थ बोर्ड में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३०
लोक सभा सदस्या, श्रीमती सुचेता कृपालानी, के प्रादेशिक मन्त्रित्व पर आपत्ति ..	३०–३१

---

७ फरवरी, १९६१

उपस्थित सदस्य	३३–३७
प्रश्नोत्तर	३७–७८
कार्य-सूची में अधिक प्रश्न रखने पर आपत्ति	७९
सर्वश्री हबीबुर्रहमान खां हकीम तथा भारत सिंह यादवाचार्य के निधन पर शोकोद्गार	७९–८
आश्वासन समिति का अष्टम प्रतिवेदन (सदन की मेज पर रखा गया) ..	८२–८४
श्री राजनारायण की गिरफ्तारी से संबंधित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	८४–८५
श्री राज्यपाल द्वारा आहूत बैठक को निरस्त करने के संबंध में श्री त्रिलोकीसिंह द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	८५–९४
सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना न देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	९५
विशेषाधिकार के प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	९५–९६
कार्य-स्थगन प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	९६

विषय	पृष्ठ–संख्या
नियम ५२ के अन्तर्गत अलीगढ़ जेल में बंदियों पर गोली चलाने के संबंध में सूचना	९६
कानपुर में ओला, पत्थर तथा अतिवर्षा के कारण रबी की फसल की क्षति के संबंध में जानकारी	९६
नियम ५२ के अन्तर्गत अलीगढ़ जेल में बंदियों पर गोली चलाने के संबंध में वक्तव्य	९७–१००
आध घंटे के विवाद के संबंध में सूचना	१००
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के संबंध में प्रार्थना . ..	१००
हेल्थ बोर्ड तथा हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट की परामर्शदात्री समितियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्य	१००
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिये समय निर्धारण ..	१००–१०१
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	१०१–१३९
नत्थियां	१४०–१५५

---

८ फरवरी, १९६१

उपस्थित सदस्य	१५७–१६१
प्रश्नोत्तर (जारी)	१६१–१७३
२३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न ९–१० के उत्तर में शोधन ..	१७४
प्रश्नोत्तर	१७४–१९०
प्रश्नों के संशोधित उत्तरों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी) ..	१९०–१९१
श्री ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु के निधन पर शोकोद्गार	१९१–१९२
'नेशनल हेरल्ड' में श्री सीताराम शुक्ल का भाषण न छपने के संबंध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (जारी)	१९२–१९३
प्रश्नों के संशोधित उत्तरों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	१९३
यू० पी० बिक्री-कर अस्थायी नियम, १९४८ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१९३
यू० पी० बिक्री-कर नियम, १९४८ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१९३
प्राक्कलन समिति (१९६०–६१) का तेरहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	१९४
'नेशनल हेरल्ड' में श्री सीताराम शुक्ल का भाषण न छपने के संबंध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१९४–१९५
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षीय चुनाव में अधिकारियों द्वारा भाग लेने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१९५
नियम ५२ के अन्तर्गत जिला फतेहपुर तथा मैनपुरी में लोध, लोधी तथा लोधी राजपूत को मत गणना में जरायमपेशा करार देने के संबंध में सूचना ..	१९५–१९६
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के संबंध में जानकारी ..	१९६
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	१९६–२४६
नत्थियां	२४७–२५४

---

९ फरवरी, १९६१

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२५५–२५९
प्रश्नोत्तर (जारी)	२५९–२८२
२६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न ३९ के उत्तर का संशोधन ..	२८२–२८३
प्रश्नोत्तर	२८३–३१४
प्रश्नोत्तर के स्थगन पर आपत्ति	३१४
श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा के निधन पर शोकोद्गार	३१४–३१६
१९५६–५७ के विनियोग लेखे तथा १९५८ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, भाग १ व २ पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	३१६
प्रतिनिहित विधायन समिति का षष्ठ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	३१७
श्री शिवप्रसाद नागर का सुझाव	३१७
परिवहन विभाग के कर्मचारियों के सेवा नियमों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	३१७–३१८
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० के संबंध में जानकारी	३१८
जिला फतेहपुर तथा मैनपुरी में लोध जाति को जनगणना में जरायम पेशा करार देने के संबंध में नियम ५२ के अंतर्गत वक्तव्य	३१८–३२०
श्री अवधेशप्रतापसिंह द्वारा पायनियर में उनको स्वतंत्र पार्टी का सदस्य छापने के संबंध में आपत्ति	३२१
३१ अगस्त, १९६० के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १–२ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न का शोधित उत्तर	३२१–३२२
२९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३–४ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न का शोधित उत्तर	३२२
हुसैनाबाद एडाऊमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत विधान मंडल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३२३
शोधन उत्तरों के संबंध में जानकारी की मांग	३२३
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३२३–३७४
नत्थियां	३७५–३९७

---

१० फरवरी, १९६१

उपस्थित सदस्य	३९९–४०३
प्रश्नोत्तर	४०३–४२८
एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	४२८
ग्राम पंचायतें नियमित रूप से गठित न होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की मांग	४२८–४२९
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के सम्बन्ध में जानकारी ..	४२९–४३०

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य के परिवहन विभाग के कर्मचारियों के सेवा नियमों में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	४३०–४३२
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (विधान परिषद् से वापस न होने की सूचना)	४३२–४३४
नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव के न लिए जाने के संबंध में जानकारी की मांग ..	४३५–४३६
१५ फरवरी को सूर्यग्रहण की छुट्टी के संबंध में जानकारी की मांग ..	४३६
भू-स्वामियों को उनके खेतों की सूची देने तथा लेखपालों के खसरे में काबिज दर्ज करने के अधिकार को समाप्त करने के संबंध में संकल्प (वापस लिया गया)	४३६–४५५
शिक्षा के विभिन्न प्रक्रमों में भाषाओं के पठन के संबंध में संकल्प (जारी) ..	४५५–४८२
नियम ५२ के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों तथा अन्तरिम जिला परिषदों के चुनावों के सम्बन्ध में वक्तव्य	४८२–४८५
नत्थियां	४८६–४९२

---

१४ फरवरी, १९६१

उपस्थित सदस्य	४९३–४९७
प्रश्नोत्तर	४९७–५१६
समाचार-पत्रों में सदस्य का नाम अशुद्ध छपने पर आपत्ति	५१६
वर्षा, बाढ़ आदि के कारण पश्चिमी जिलों में उत्पन्न भीषण परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वसूली स्थगित करने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	५१७
प्रदेश में भीषण वर्षा एवं बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५१७–५२१
श्री रूर्मासिह का नाम कार्य-वृत्त में न छपने के सम्बन्ध में जानकारी	५२१
नियम ५३ के अन्तर्गत विवाद की मांग	५२१–५२२
कांगो के भूतपूर्व अपदस्थ प्रधान मंत्री श्री पैट्रिक लुमुम्बा की हत्या के सम्बन्ध में चर्चा करने की मांग	५२२
भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	५२२–५२४
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक ,१९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	५२४–५२५
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० (विचारोपरान्त पारित)	५२५–५७०
विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने या जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रस्तावकों को उत्तर देने के अधिकार की व्यवस्था	५७०
नत्थियां	५७१–५७६

---

१५ फरवरी, १९६१

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५७७–५८१
प्रश्नोत्तर	५८१–५९६
श्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई)	५९७
भारत–तिब्बत सीमा पर चेक पोस्ट के स्थानान्तरण से गंभीर परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी)	५९७–५९९
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के संबंध में जानकारी की मांग ..	५९९–६००
स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर, की परामर्शदात्री समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम ..	६००
सदन में विभिन्न दलों की स्थिति के संबंध में सूचना	६००
वर्षा एवं उपलवृष्टि से हुई हानि के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	६०१
फीरोजाबाद कांड पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	६०१
स्वतंत्र सदस्यों के बैठने का स्थान निश्चित करने की प्रार्थना	६०१
१९६०–६१ के द्वितीय पूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	६०१
निरनुमोदन के संकल्पों पर विवाद की प्रक्रिया	६०२
उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक अध्यादेश, १९६० के निरनुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	६०२–६०५
उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) अध्यादेश, १९६० के निरनुमोदनार्थ संकल्प (विचार जारी)	६०५–६०९
नत्थी	६१०

---

१६ फरवरी, १९६१

उपस्थित सदस्य	६११–६१५
प्रश्नोत्तर	६१५–६४४
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	६४४
कानपुर में कोयले की कमी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षण के लिये सूचनायें	६४५–६४६
फीरोजाबाद में रामलीला के जलूस पर बम फेंके जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६४६–६४८
आगरा, मैनपुरी आदि जिलों में सैलाब से विषम परिस्थिति होने पर भी चकबन्दी टैक्स वसूली के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	६४८–६५०
भारत–तिब्बत सीमा पर कालापानी से बूंदी में चेक पोस्ट को हटाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत जानकारी की मांग (जारी) ..	६५०
उत्तर प्रदेश हेल्थ बोर्ड तथा हरकोर्ट बटलर टेक्नालोजिकल इंस्टीट्यूट की सदस्यता से नाम वापस लेने की तिथि में परिवर्तन	६५१

विषय	पृष्ठ-संख्या
आगामी सप्ताह के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी	६५१
भारत –तिब्बत सीमा पर कालापानी से बूंदी में चेक पोस्ट को हटाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत जानकारी की मांग	६५१
चीनी वायुयानों द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	६५१–६५२
१४ सितम्बर ,१९६० के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ४ मे सम्बद्ध श्री देवनारायण भारतीय के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	६५२–६५३
कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश ,१९६० के निरनुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	६५३–६७२
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० के निरनुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	६७२–६८७
उत्तर प्रदेश के राज्य विधान मंडल के अधिकारी,मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६० के निरनुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	६८७–६९५
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (संशोधन)अध्यादेश, १९६ के निरनुमोद-नार्थ संकल्प (विवाद जारी)	६९५–७०१
नत्थियां	७०२–७१०

---

१७ फरवरी, १९६१

उपस्थित सदस्य	७११–७१५
प्रश्नोत्तर	७१५–७३४
लोक लेखा समिति में तथा लाभ पद विषयक संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये विधान परिषद् के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा ..	७३४
श्री जंगबहादुर वर्मा द्वारा कार्य –स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई)	७३५
प्रदेश की उत्तरी सीमा पर थल ,जौलजीवी आदि स्थानों में सरकार द्वारा पड़ाव हस्तगत करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सम्बद्ध मंत्री से वक्तव्य की मांग	७३५
भारत–तिब्बत सीमा पर कालापानी से बूंदी में चेक पोस्ट हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७३५–७३८
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक,१९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	७३८–७३९
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी ,मंत्री ,उपमंत्री तथा सभासचिव (वेतन भता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक ,१९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	७३९
कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक ,१९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	७३९
आगरा, मथुरा आदि जिलों में वर्षा, बाढ़, गर्की होने पर चकबन्दी टैक्स वसूली के बारे में न्याय मंत्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में सूचना	७३९

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९६०–६१ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद	७३९–७७२
१९६०–६१ के द्वितीय पूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—	
अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक :४—निगम कर और संपत्ति शुल्क को छोड़ कर आय पर कर (स्वीकृत)	७७३
अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक : ७—भू–राजस्व (स्वीकृत) ..	७७३
अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक : ८—राज्य आबकारी (स्वीकृत) ..	७७३
अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक :१०—वन (स्वीकृत)	७७४
अनुदान संख्या ६—लेखा शीर्षक :११—निबन्धन (स्वीकृत)	७७४
अनुदान संख्या ८—लेखा शीर्षक :१२ –क—बिक्री-कर (स्वीकृत) ..	७७४
अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक :१७ ,१८ और १९–ख—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्वीकृत)	७७४–७७५
अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८—सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय (स्वीकृत)	७७५
अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक १८—अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें (स्वीकृत)	७७५
अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक :२५ —सामान्य प्रशासन पर व्यय (स्वीकृत)	७७५–७७६
अनुदान संख्या १४—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन (स्वीकृत) ..	७७६
अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक:२७—न्याय प्रशासन (स्वीकृत) ..	७७६
अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक : २८—जेल (स्वीकृत) ..	७७७
अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक :२९ —पुलिस (स्वीकृत) ..	७७७
अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक :३७—शिक्षा (स्वीकृत)	७७७
अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक :३८ —चिकित्सा (स्वीकृत) ..	७७७–७७८
अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक:३९–जनस्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	७७८
अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक :४०—कृषि सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण और शोध (स्वीकृत)	७७८
अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक :४१ —पशुपालन (स्वीकृत) ..	७७८
अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक :४१ और ८१ –क—विद्युत् योजनाओं के अधिष्ठान पर व्यय (स्वीकृत)	७७८–७७९
अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक: ४३—उद्योग (स्वीकृत) ..	७७९
अनुदान संख्या ३१—लेख शीर्षक: ४७—परिवहन विभाग (स्वीकृत) ..	७७९
अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक :४७—प्रकीर्ण विभाग (स्वीकृत) ..	७७९
अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक :५ —नागरिक निर्माण–कार्य तथा ५०–क राजस्व से वित्तपोषित किये जाने वाले नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	७७९–७८०
अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक :५०—नागरिक निर्माण-कार्य (स्वीकृत) ..	७८०

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक :५४ —दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि (स्वीकृत)	७८०
अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक :५४ —क—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें (स्वीकृत)	७८०
अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक : ५६—लेखन-सामग्री और मुद्रण तथा अवमूल्यन (स्वीकृत)	७८१
अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक : ५७—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत) ..	७८१
अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक :५७ — प्रकीर्ण (स्वीकृत) ..	७८१
अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक :६८ —सिंचाई ,नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण (स्वीकृत)	७८१–७८२
अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक :७२ —औद्योगिक विकास (स्वीकृत) ..	७८२
अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक :८१—निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	७८२
अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक :८१ —क—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	७८२
अनुदान संख्या ५२—लेखा शीर्षक :८२—कृषि अभियंत्रण,सरकारी बस सेवाओं, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	७८३
अनुदान संख्या ५३—लेखा शीर्षक : ८३—निवृत्ति (वेतनों) की संराशि का भुगतान (स्वीकृत)	७८३
अनुदान संख्या ५५—लेखा शीर्षक : त —राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	७८३
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	७८३–७९५
नत्थियां	७९६–८०७

---

१८ फरवरी, १९६१

उपस्थित सदस्य	८०९–८१३
प्रश्नोत्तर	८१३–८३८
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६० विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि प्रस्ताब की सूचना)	८३८
उत्तर प्रदेश मलिन गस्ती क्षेत्र (सुधार तथा तिपातन) विधेयक,१९६० विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संयुक्त प्रवर समिति को निर्विष्ट करने के प्रस्ताव की सूचना	८३८

विषय	पृष्ठ-संख्या
कानपुर में कोयले की कमी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	८३८–८३९
भुवनेश्वर मेला, जिला उन्नाव में लूट के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	८३९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत उठाये गये विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	८३९–८४०
उत्तराखंड व कुमायूं में भोटिया लोगों के पड़ावों में सरकारी इमारतें बनाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	८४०–८४२
स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट के लिये सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में तिथि की सूचना	८४२
कानपुर में कोयले की कमी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	८४२–८४९
प्रदेश में उपल वृष्टि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	८४९–८५०
८ सितम्बर, १९६० के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५–७ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न का शोधित उत्तर	८५१
मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (सदन द्वारा उपस्थित करने की अनुज्ञा प्रदान की गयी)	८५१–८५८
सदन का आगामी कार्यक्रम	८५८–८५९
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६० के निरनुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	८५९–८६५
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ के निरनुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	८६६–८७२
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ के निरनुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	८७२–८९०
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ (जारी)	८९०–८९१
मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद के लिये तिथि की घोषणा ..	८९१–८९२
नत्थियां	८९३–८९७

शासन

राज्यपाल

डाक्टर बूरुगुलु रामकृष्ण राव

मंत्रि-परिषद्

मंत्री (जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं)

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान परिषद् सदस्य, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, नियोजन, उद्योग, विद्युत् शक्ति, सूचना, खाद्य तथा रसद, स्वास्थ्य तथा हरिजन कल्याण मंत्री ।

श्री हुकुमसिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, न्याय, माल, सहायता और पुनर्वासन मंत्री ।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, गृह तथा कृषि मंत्री ।

आचार्य जुगल किशोर, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा समाज-कल्याण मंत्री ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी, एम० ए०, विधान परिषद् सदस्या सामूहिक योजनाएं, ग्राम और लघु उद्योग तथा श्रम मंत्री ।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

श्री हरगोविन्दसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान परिषद् सदस्य, वित्त मंत्री ।

राज्य मंत्री (जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

श्री मंगलाप्रसाद, विधान सभा सदस्य, सहकारिता तथा संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा सदस्य, परिवहन मंत्री ।

श्री राममूर्ति, विधान सभा सदस्य, सिंचाई मंत्री ।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी०, पी–एच० डी०, विधान सभा सदस्य, आबकारी मंत्री ।

श्री कैलाशप्रकाश, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री ।

श्री अलगूराय शास्त्री, विधान परिषद् सदस्य, वन मंत्री ।

उपमंत्री

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी, विधान सभा सदस्य, हरिजन सहायक उपमंत्री ।

श्री रऊफ जाफरी, विधान सभा सदस्य, सूचना उपमंत्री ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा, विधान सभा सदस्य, संसदीय विषयक उपमंत्री ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद, विधान सभा सदस्या, समाज कल्याण उपमंत्री ।

श्री रामस्वरूप यादव, विधान सभा सदस्य, शिक्षा उपमंत्री ।

श्री वसी नकवी, विधान सभा सदस्य, श्रम उपमंत्री ।

श्री धर्मसिंह, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री ।

श्री उदयशंकर, विधान सभा सदस्य, राजस्व उपमंत्री ।

हिंदुस्तान अखबार

सभा सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय, विधान परिषद् सदस्य ।

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान सभा सदस्य ।

हिन्दी प्रचार

सत्यमेव जयते

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

132552

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षयवर्सिंह, श्री ..	.. पिपराइच
२	अजीज इमाम, श्री ..	.. कंतित
३	अतीकुल रहमान, श्री ..	.. नजीबाबाद
४	अनन्तराम वर्मा, श्री ..	.. अलीगढ़
५	अब्दुल रऊफ लारी, श्री ..	.. विनायकपुर
६	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री ..	.. कोपागंज
७	अब्दुस्समी, श्री ..	.. बरौसा
८	अभयराम यादव, श्री ..	.. जसवंत नगर
९	अमरनाथ, श्री ..	.. महराजगंज
१०	अमरेश चन्द्र पान्डेय, श्री ..	.. मिर्जापुर
११	अमोलादेवी, श्रीमती ..	.. अठेहा
१२	अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री ..	.. सलेमपुर (पूर्व)
१३	अली जर्रार जाफरी, श्री ..	.. उतरौला
१४	अली जहीर, श्री सैयद ..	.. लखनऊ शहर (पश्चिम)
१५	अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर ..	.. मिसरिख
१६	अवधेश चन्द्र सिंह, श्री ..	.. भोजपुर
१७	अवधेश प्रताप सिंह, श्री ..	.. बीकापुर (पूर्व)
१८	असलम खां, श्री ..	.. रामपुर
१९	अहमद बख्श, श्री ..	.. जानसठ
२०	आत्मा राम गोविन्द खेर, श्री ..	.. झांसी
२१	आत्मा राम पाण्डेय, श्री ..	.. सैदपुर
२२	आदिराम सिंघल, श्री ..	.. आगरा शहर
२३	आनन्द ब्रह्मशाह, श्री ..	.. राबर्ट्सगंज
२४	आर्थर सी० ग्राइस, श्री ..	.. नाम निर्देशित (आंग्ल भारतीय)
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री ..	.. सगरी
२६	इरतजा हुसैन, श्री ..	.. सियाना
२७	इस्तफा हुसैन, श्री ..	.. गोरखपुर
२८	उग्रसेन, श्री ..	.. सलेमपुर (पश्चिम)
२९	उदयशंकर दुबे, श्री ..	.. बस्ती
३०	उबैदुर्रहमान, श्री ..	.. बांसी (पूर्व)
३१	उमाशंकर शुक्ल, श्री ..	.. कानपुर शहर
३२	उल्फत सिंह, श्री ..	.. सहसवान
३३	ऊदल, श्री ..	.. कोलासला
३४	एस० अहमद हसन, श्री ..	.. कानपुर शहर
३५	ओंकार नाथ, श्री ..	.. चुनार
३६	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री ..	.. शाहाबाद
३७	कमरुद्दीन, श्री ..	.. बुधना
३८	कमल कुमारी गोईंदी, कुमारी ..	.. करछना
३९	कमलापति त्रिपाठी, श्री ..	.. चन्दौली

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४०	कमलेश चन्द्र , श्री उपनाम कमले	..	पुवायां
४१	कल्याण चन्द मोहिले, श्री उपनाम छन्नन गुरु	..	इलाहाबाद शहर (दक्षिण)
४२	कल्याण राय, श्री ..	..	शाहाबाद
४३	कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री ..	..	महाइच
४४	कालीचरण अग्रवाल, श्री ..	..	कासगंज
४५	काशी प्रसाद पाण्डेय,श्री ..	..	कादीपुर
४६	किशन सिंह, श्री ..	..	ठाकुरद्वारा
४७	कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री ..	..	सुल्तानपुर
४८	केशभान राय, श्री ..	..	मगहर
४९	केशव पाण्डेय, श्री ..	..	मनीराम
५०	केशव राम, श्री ..	..	बिसौली
५१	कैलाश कुमार सिंह, श्री ..	..	इस्लाम नगर
५२	कैलाश नारायण गुप्त, श्री ..	..	इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५३	कैलाश प्रकाश, श्री ..	..	मेरठ शहर
५४	कैलाशवती, श्रीमती ..	..	छिल्लुपुर
५५	कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री ..	..	छिबरामऊ
५६	कृपा शंकर, श्री ..	..	नगर
५७	खजान सिंह, चौधरी ..	..	उन्नाव
५८	खमानी सिंह, डाक्टर ..	..	मुरादाबाद (देहात)
५९	खयाली राम, श्री ..	..	मोहनलालगंज
६०	खुशी राम, श्री ..	..	पिथौरागढ़
६१	खूब सिंह, श्री ..	..	धामपुर
६२	गंगाधर जाटव, श्री ..	..	एतमादपुर
६३	गंगा प्रसाद , श्री (गोंडा) ..	..	गोंडा (दक्षिण)
६४	गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा) ..	..	एटा
६५	गंगा प्रसाद सिंह ,श्री ..	..	रसरा
६६	गजेन्द्र सिंह, श्री ..	..	बिधुना
६७	गज्जूराम, श्री ..	..	ललितपुर
६८	गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री ..	..	बांसगांव
६९	गनेश चन्द्र काछी, श्री ..	..	भोगांव
७०	गनेशी लाल चौधरी, श्री ..	..	बिस्वां
७१	गया प्रसाद, श्री ..	..	कुंडा
७२	गया बख्श सिंह, श्री ..	..	इसौली
७३	गयूर अली खां, श्री ..	..	भवन
७४	गरीबदास, श्री ..	..	कालपी
७५	गिरधारी लाल, श्री ..	..	धामपुर
७६	गुप्तार सिंह, श्री ..	..	सरेनी
७७	गुरु प्रसाद सिंह, श्री ..	..	मुसाफिरखाना
७८	गुलाब सिंह, श्री ..	..	मसूरी
७९	गेंदा देवी, श्रीमती ..	..	खलीलाबाद
८०	गेंदा सिंह, श्री ..	..	पडरौना (पूर्व)
८१	गोकुल प्रसाद, श्री ..	..	चायल
८२	गोपी कृष्ण आजाद, श्री ..	..	नारायणी

क्रम-संख्या	सदय का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
८३	गोविन्द नारायण तिवारी, श्री	.. जालौन
८४	गोविन्द सहाय, श्री ..	.. नगीना
८५	गोविन्द सिंह विष्ट, श्री ..	.. अल्मोड़ा
८६	गौरी राम गुप्त, श्री ..	.. फरेंदा (पश्चिम)
८७	गौरी शंकर राय, श्री ..	.. बलिया
८८	घनश्याम डिमरी, श्री ..	.. बद्रीनाथ
८९	घासी राम जाटव, श्री ..	.. भरथना
९०	चन्द्रजीत यादव, श्री	.. मोहम्मदाबाद गोहाना
९१	चन्द्र देव, श्री ..	.. पडरौना (उत्तर)
९२	चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री	.. निजामाबाद
९३	चन्द्र सिंह रावत, श्री ..	.. पौड़ी
९४	चन्द्रहास मिश्र, श्री ..	.. बिलग्राम
९५	चन्द्रावती , श्रीमती ..	.. बिजनौर
९६	चन्द्रिका प्रसाद, श्री ..	.. बछरावां
९७	चरण सिंह, श्री ..	.. कोटना
९८	चित्तर सिंह निरंजन, श्री ..	.. कौंच
९९	चिरंजीलाल जाटव, श्री ..	.. जलेसर
१००	छत्तरसिंह , श्री ..	.. खुर्जा
१०१	छत्रपति अम्बेश, श्री ..	.. आगरा शहर
१०२	छेदी लाल , श्री .	.. श्रीनगर
१०३	छोटे लाल पालीवाल, श्री ..	.. सिरहपुरा
१०४	जंगबहादुर वर्मा, श्री ..	.. हैदरगढ़
१०५	जगदीश नारायण, श्री ..	.. बिलारी
१०६	जगदीश नारायण दत्त सिंह, श्री	.. मोहम्मदी
१०७	जगदीश प्रसाद, श्री ..	.. हसनपुर
१०८	जगदीश शरण अग्रवाल, श्री ..	.. बरेली शहर
१०९	जगन्नाथ, चौधरी ..	.. सिकन्दरपुर
११०	जगन्नाथ प्रसाद, श्री ..	.. धरेहरा
१११	जगन्नाथ लहरी,श्री ..	.. फिरोजाबाद
११२	जगपति सिंह, श्री ..	.. करवी
११३	जगमोहन सिंह नेगी, श्री ..	.. गंगा सलाण
११४	जगवीर सिंह, श्री ..	.. अगोटा
११५	जमुना सिंह, श्री ..	.. गुन्नौर
११६	जयगोपाल, डाक्टर ..	.. हरौरा
११७	जयदेव सिंह आर्य, श्री ..	.. घिरोर
११८	जयराम वर्मा, श्री ..	.. टांडा
११९	जरगाम हैदर , श्री सैयद	.. बहराइच (उत्तर)
१२०	जवाहर लाल, श्री ..	.. मंझनपुर
१२१	जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर	.. कानपुर शहर
१२२	जागेश्वर, श्री ..	.. किशनपुर
१२३	जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री ..	.. कांठ
१२४	जुगल किशोर , आचार्य ..	.. गोवर्धन
१२५	जोखई, श्री ..	.. मेजा

क्रम संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१२६	ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री	..	.. घाटमपुर
१२७	झारखण्डे राय, श्री	..	.. घोसी
१२८	टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री	..	.. खैराबाद
१२९	टीकाराम, श्री	..	.. बदायूं
१३०	टीकाराम पुजारी, श्री	..	.. सादाबाद
१३१	डूंगर सिंह, श्री	..	.. राठ
१३२	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	.. सिधौली
१३३	तारादेवी , डाक्टर	..	.. मड़ियाहूं
१३४	तिरमल सिंह, श्री	..	.. सहावर
१३५	तेज बहादुर , श्री	..	.. लालगंज
१३६	तेजा सिंह, श्री	..	.. गाजियाबाद
१३७	त्रिलोकी सिंह, श्री	..	.. लखनऊ शहर (पूर्व)
१३८	दत्त, श्री एस० जी०	..	.. कानपुर शहर
१३९	दर्शन सिंह, श्री	..	.. शाहजहांपुर
१४०	दशरथ प्रसाद, श्री	..	.. बलरामपुर
१४१	दाताराम , चौधरी	..	.. नकुड़
१४२	दीन दयालु करुण, श्री	..	.. बलरामपुर
१४३	दीन दयालु शर्मा, श्री	..	.. अनूपशहर
१४४	दीन दयालु शास्त्री, श्री	..	.. रुड़की
१४५	दीपंकर, आचार्य	..	.. बड़ौत
१४६	दीप नारायण मणि त्रिपाठी, श्री		.. देवरिया (दक्षिण)
१४७	दुर्योधन,श्री	..	.. महाराजगंज
१४८	देवकी नन्दन विभव , श्री	..	.. आगरा शहर
१४९	देवदत्त सिंह, श्री	..	.. टप्पल
१५०	देवनारायण भारतीय, श्री	..	.. जमौर
१५१	देव राम, श्री	..	.. शादियाबाद
१५२	देवी प्रसाद मिश्र, श्री	..	.. अकबरपुर
१५३	द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	.. मुजफ्फरनगर
१५४	द्वारिका प्रसाद, श्री	..	.. कन्नौज
१५५	द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	.. फरेन्दा (पूर्व)
१५६	धनी राम, श्री	..	.. लालगंज
१५७	धनुषधारी पाण्डेय, श्री	..	.. महुली
१५८	धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	.. सिरौली
१५९	धर्मपालसिंह, श्री	..	.. तुलसीपुर
१६०	धर्मसिंह, श्री	..	.. अनूप शहर
१६१	नत्था राम रावत, श्री	..	.. बाराबंकी
१६२	नत्थू सिंह, श्री (बरेली)	..	.. फरीदपुर
१६३	नत्थू सिंह, श्री (मैनपुरी)	..	.. करहल
१६४	नन्द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री	..	.. हाथरस
१६५	नन्दराम, श्री	..	.. कुन्डा
१६६	नरदेवसिंह दतियानवी, श्री	..	.. चांदपुर
१६७	नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री	..	.. केदार नाथ
१६८	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	.. पिथौरागढ़

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१६९	नवल किशोर, श्री ..	.. आंवला
१७०	नागेश्वर प्रसाद ,श्री ..	.. गरवारा
१७१	नारायणदत्त तिवारी, श्री ..	.. नैनीताल
१७२	नारायणदास पासी, श्री ..	.. बीकापुर (पश्चिम)
१७३	निरंजनसिंह, श्री ..	.. पीलीभीत
१७४	नेकराम शर्मा, श्री ..	.. अतरौली
१७५	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री ..	.. अतरौलिया
१७६	पब्बरराम, श्री ..	.. गाजीपुर
१७७	परमानन्द सिनहा, श्री ..	.. सोरांव (पश्चिम)
१७८	परमेश्वर दीन वर्मा, श्री ..	.. पुर्वा
१७९	पहलावानसिंह, चौधरी ..	.. बांदा
१८०	प्रकाशवती सूद, श्रीमती ..	.. मेरठ (छावनी)
१८१	प्रताप बहादुर सिंह, श्री ..	.. फखरपुर
१८२	प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री ..	.. लहरपुर
१८३	प्रतापसिंह, श्री ..	.. टनकपुर
१८४	प्रभावती मिश्र, श्रीमती ..	.. लम्भुआ
१८५	प्रभुदयाल, श्री ..	.. बानगंगा (पश्चिम)
१८६	फतेहसिंह, श्री ..	.. सरधना
१८७	बंशीधर शुक्ल, श्री ..	.. श्रीनगर
१८८	बदलूराम श्री ..	.. बहराइच (दक्षिण)
१८९	बलदेव सिंह, श्री ..	.. महदेवा
१९०	बलदेवसिंह आर्य, श्री ..	.. शाहाबाद
१९१	बसन्तलाल, श्री ..	.. लखनऊ (छावनी)
१९२	बादामसिंह, श्री ..	.. शिकारपुरा
१९३	बाबूराम, श्री ..	.. भोजीपुरा
१९४	बाबूलाल कुसुमेश, श्री ..	.. प्रतापगंज
१९५	बालकराम, श्री ..	.. तिलहर
१९६	बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री ..	.. डोमरियागंज (दक्षिण)
१९७	बिन्दुमती दास, श्रीमती ..	.. प्रतापगंज
१९८	बिशम्बरसिंह, श्री ..	.. हस्तिनापुर
१९९	बिहारीलाल, श्री ..	.. बीसलपुर
२००	बुलाकीराम, श्री ..	.. हरदोई
२०१	बुद्धीलाल, श्री ..	.. नानपारा
२०२	बुद्धीसिंह, श्री ..	.. बहजोई
२०३	बृजबासी लाल, श्री ..	.. बीकापुर (पश्चिम)
२०४	बृजरानी मिश्र, श्रीमती ..	.. बिल्हौर
२०५	बेचन राम, श्री ..	.. ज्ञानपुर
२०६	बेचनराम गुप्त, श्री ..	.. ज्ञानपुर
२०७	बेनी बाई, श्रीमती ..	.. मऊ
२०८	बैजूराम, श्री ..	.. सिधौली
२०९	ब्रजनारायण तिवारी, श्री ..	.. पडरौना (पश्चिम)
२१०	ब्रजभूषण शरण, श्री ..	.. देहरादून
२११	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री ..	.. कानपुर शहर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
२१२	भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	..	..	भावापुर
२१३	भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	..	..	प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१४	भगवतीसिंह विशारद, श्री	..	..	भगवन्तनगर
२१५	भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री	..	..	बाराबंकी
२१६	भजनलाल, श्री	..	..	औरैया
२१७	भीखालाल, श्री	..	..	हसनगंज
२१८	भीमसेन, श्री	..	..	खुर्जा
११९	भुवनेशभूषण शर्मा, श्री	..	..	इटावा
२२०	भूपकिशोर, श्री	..	..	अलीगंज
२२१	मंगलाप्रसाद, श्री	..	..	मेजा
२२२	मंजूरुल नबी, श्री	..	..	सहारनपुर
२२३	मथुराप्रसाद पांडेय, श्री	..	..	नौगढ़
२२४	मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	..	अमीसन
२२५	मदन पांडेय, श्री	..	..	तिलपुर
२२६	मदनमोहन, श्री	..	..	फैजाबाद
२२७	मन्नालाल, श्री	..	..	मोहमदी
२२८	मलखान सिंह, श्री	..	..	सिकन्दराराव
२२९	मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)	..	..	मैनपुरी
२३०	महमूद अली खां, कुंवर, (मेरठ)		..	दसना
२३१	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)		..	स्वार टांडा
२३२	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)		..	मुजफ्फराबाद
२३३	महमूद हुसैन खां, श्री	..	..	सम्भल
२३४	महादेवप्रसाद, श्री	..	..	फखरपुर
२३५	महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	..	..	केवाई
२३६	महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	..	लखनऊ शहर (मध्य)
२३७	महीलाल, श्री	..	..	बिलारी
२३८	महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा	..	..	बाह
२३९	महेशसिंह, श्री	..	..	हरदोई
२४०	माताप्रसाद, श्री	..	..	शाहगंज
२४१	मानधातासिंह, श्री	..	..	कोपाचीत
२४२	मिहरबानसिंह, श्री	..	..	भरथना
२४३	मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री	..	..	रुदौली
२४४	मुक्तिनाथ राय, श्री	..	..	गोपालपुर
२४५	मुजफ्फर हसन, श्री	..	..	चायल
२४६	मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	..	..	बीसल
२४७	मुबारक अली खां, श्री	..	..	उसेहट
२४८	मुरलीधर, श्री	..	..	माहुल
२४९	मुरलीधर कुरील, श्री	..	..	बिल्हौर
२५०	मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री	..	..	सफीपुर
२५१	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	..	वाराणसी शहर (उत्तर)
२५२	मुहम्मद फारुक चिश्ती, श्री	..	..	देवरिया (उत्तर)
२५३	मुहम्मद सुलेमान अथमी, श्री	..	..	बानगंगा (पूर्व)
२५४	मुहम्मद हुसैन, श्री	..	..	बरेली छावनी

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२५५	मूलचन्द, श्री ..	.. मिसरिख
२५६	मोतीलाल अवस्थी, श्री ..	.. कानपुर (देहात)
२५७	मोहनलाल, श्री ..	.. महोबा
२५८	मोहनलाल गौतम, श्री ..	.. कोयल
२५९	मोहनलाल वर्मा, श्री ..	.. संडीला
२६०	मोहनसिंह मेहता, श्री ..	.. दानपुर
२६१	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री ..	.. रायबरेली (उत्तर)
२६२	यमुनासिंह, श्री ..	.. शादियाबाद
२६३	यशपालसिंह, श्री ..	.. देवबन्द
२६४	यशोदादेवी, श्रीमती ..	.. बांसगांव
२६५	यादवेंद्रदत्त दूबे, राजा ..	.. जौनपुर
२६६	रऊफ जाफरी, श्री ..	.. मछलीशहर
२६७	रघुनाथ सहाय यादव, श्री ..	.. किशनपुर
२६८	रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब. .	सादुल्लानगर
२६९	रघुराजसिंह, चौधरी ..	.. बुलन्दशहर
२७०	रघुवीरराम, श्री ..	.. मोहम्मदाबाद
२७१	रघुवीरसिंह, श्री (एटा) ..	.. जलेसर
२७२	रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ) ..	.. बागपत
२७३	रणबहादुरसिंह, श्री ..	.. हरैया (पश्चिम)
२७४	रमाकांतसिंह, श्री ..	.. अमेठी
२७५	रमानाथ खैरा, श्री ..	.. ललितपुर
२७६	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री ..	.. बरसाथी
२७७	राघवराम पांडेय, श्री ..	.. गोंडा (दक्षिण)
२७८	राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री ..	.. मनकापुर
२७९	राजकिशोर राव, श्री ..	.. इकौना
२८०	राजदेव उपाध्याय, श्री ..	.. सिधुवाजोबना
२८१	राजनारायण, श्री ..	.. कसवरसरकारी
२८२	राजनारायणसिंह, श्री ..	.. अहरौरा
२८३	राजबिहारीसिंह, श्री ..	.. कसवर राजा
२८४	राजाराम शर्मा, श्री ..	.. खलीलाबाद
२८५	राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती ..	.. डोमरियागंज (उत्तर)
२८६	राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती ..	.. मौदहा
२८७	राजेन्द्रदत्त, श्री ..	.. शिकारपुर
२८८	राजेन्द्रसिंह, श्री ..	.. गोंडवा
२८९	राजेन्द्रसिंह यादव, श्री ..	.. शमसाबाद
२९०	रामअधार तिवारी, श्री ..	.. प्रतापगढ़ (उत्तर)
२९१	राम अभिलाख, श्री ..	.. गोंडा (उत्तर)
२९२	रामकिंकर, श्री ..	.. पट्टी
२९३	रामकुमार वैद्य, श्री ..	.. अमरोहा
२९४	रामकृष्ण जैसवार, श्री ..	.. कंतित
२९५	रामकृष्ण सारस्वत, श्री ..	.. फर्रुखाबाद
२९६	रामचन्द्र उनियाल, श्री ..	.. रवाईं
२९७	रामचन्द्र विकल, श्री ..	.. सिकन्दराबाद

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
२९८	रामजीलाल सहायक, श्री	..	..	सरधना
२९९	रामजीसहाय, श्री	..	..	सिलहट
३००	रामदास आर्य, श्री	..	..	जानसठ
३०१	रामदीन, श्री	..	..	करहल
३०२	रामदुलारे मिश्र, श्री	..	..	अकबरपुर
३०३	रामनाथ पाठक, श्री	..	..	दोआबा
३०४	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	..	सुरहुरपुर
३०५	रामपाल त्रिवेदी, श्री	..	..	मलिहाबाद
३०६	रामप्रसाद, श्री	..	..	सलोन
३०७	रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	..	कोयल
३०८	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	..	लैंसडाऊन
३०९	रामबली, श्री	..	..	मुसाफिरखाना
३१०	राममूर्ति, श्री	..	..	बहेड़ी
३११	रामरतनप्रसाद, श्री	..	..	रसरा
३१२	रामरतीदेवी, श्रीमती	..	..	अकबरपुर
३१३	रामलक्षण तिवारी, श्री	..	..	बांसडीह, (पूर्व)
३१४	रामलखन, श्री (वाराणसी)	..	..	चन्दौली
३१५	रामलखन मिश्र, श्री	..	..	बांसी (पश्चिम)
३१६	रामलखन सिंह, श्री	..	..	रारी
३१७	रामलाल, श्री ..	..	..	नगर
३१८	रामवचन यादव, श्री	..	..	माहुल
२१९	रामशरण यादव, श्री	..	..	मोहनलाल गंज
३२०	रामसनेही भारतीय, श्री	..	..	बबेरू
३२१	राम समझावन, श्री	..	..	केराकत
३२२	रामसिंह चौहान वैद्य, श्री	..	..	एतमादपुर
३२३	रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	..	नत्थूपुर
३२४	रामसूरत प्रसाद, श्री	..	..	पिपराइच
३२५	रामस्वरूप यादव, श्री	..	..	जसराना
३२६	रामस्वरूप वर्मा, श्री	..	..	भोगनीपुर
३२७	रामहेतसिंह, श्री	..	..	छाता
३२८	रामायण राय, श्री	..	..	पडरौना (दक्षिण)
३२९	रामेश्वरप्रसाद, श्री	..	..	बछरावां
३३०	रुकनुद्दीन खां, श्री	..	..	कोंहडौर
३३१	रूमसिंह, श्री ..	..	..	खेरा बजेहरा
३३२	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	..	काशीपुर
३३३	लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	..	गरोथा
३३४	लक्ष्मीनारायण, श्री	..	..	पहाड़पुर
३३५	लक्ष्मीनारायण बन्सल, श्री	..	..	फतेहाबाद
३३६	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	..	माट
३३७	लायकसिंह, चौधरी	..	..	शिकोहाबाद
३३८	लालबहादुर, श्री	..	..	शिवपुर
३३९	लालबहादुर सिंह, श्री	..	..	केराकत
३४०	लुत्फ अली खां, श्री	..	..	हापुड़

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
३४१	लोकनाथ सिंह, श्री ..	.. कटेहर
३४२	वजरंग विहारी लाल रावत, श्री	.. हैदरगढ़
३४३	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री ..	.. जमानिया
३४४	वसी नकवी, श्री ..	.. रोखा
३४५	वासुदेव दीक्षित, श्री ..	.. खागा
३४६	विचित्रनारायण शर्मा, श्री ..	.. मोदीनगर
३४७	विजयशंकरसिंह, श्री ..	.. मुहम्मदाबाद
३४८	विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती ..	.. शाहाबाद
३४९	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती ..	.. देवप्रयाग
३५०	विशालसिंह, श्री ..	.. भिटौली
३५१	विश्राम राय, श्री ..	.. आजमगढ़
३५२	विश्वनाथसिंह गौतम, श्री ..	.. करान्द
३५३	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी ..	.. फतेहपुर सीकरी
३५४	वीरसेन, श्री	.. हापुड़
३५५	वीरेंद्र वर्मा, श्री] ..	.. कैराना
३५६	वीरेंद्रशाह, राजा ..	.. कालपी
३५७	व्रजगोपाल सक्सेना, श्री ..	.. महोबा
३५८	व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री ..	.. घाटमपुर
३५९	शंकरलाल, श्री ..	.. कादीपुर
३६०	शकुन्तला देवी, श्रीमती ..	.. हरौरा
३६१	शब्बीर हसन, श्री ..	.. खजुहा
३६२	शमसुल इस्लाम, श्री ..	.. निधपुर
३६३	शम्भुदयाल, श्री ..	.. संडीला
३६४	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री ..	.. हरद्वार
३६५	शिवगोपाल तिवारी, श्री ..	.. सफीपुर
३६६	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया) ..	.. सिधुवाजोबना
३६७	शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)	.. खीरी
३६८	शिवमंगलसिंह, श्री ..	.. बांसडीह (पश्चिम)
३६९	शिवमूर्ति, श्री ..	.. फूलपुर
३७०	शिवराजबलीसिंह, श्री ..	.. फतेहपुर
३७१	शिवराजबहादुर, श्री ..	.. नवाबगंज
३७२	शिवराजसिंह यादव, श्री ..	.. बिसौली
३७३	शिवराम, श्री ..	.. अफजलगढ़
३७४	शिवराम पांडेय, श्री ..	.. डेरापुर
३७५	शिववचन राव, श्री ..	.. सलेमपुर (दक्षिण)
३७६	शिवशंकरसिंह, श्री ..	.. डलमऊ
३७७	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	.. इकौना
३७८	शीतलाप्रसाद, श्री ..	.. तरबगंज
३७९	शोभनाथ, श्री ..	.. राबर्ट्सगंज
३८०	श्याममनोहर मिश्र, श्री ..	.. लखनऊ (छावनी)
३८१	श्यामलाल, श्री ..	.. माट
३८२	श्यामलाल यादव, श्री ..	.. मुगलसराय
३८३	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी ..	.. किथोर

क्रम संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन क्षेत्र
३८४	श्रीकृष्ण गोयल, श्री	..	..	उझानी
३८५	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	..	..	खैरागढ़
३८६	श्रीनाथ, श्री	..	..	मोहम्मदाबाद गोहाना
३८७	श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	..	मथुरा
३८८	श्रीनिवास, श्री	..	..	गांगिरी
२८९	श्रीपालसिंह, कुंवर	..	..	शाहगंज
३९०	संग्रामसिंह, श्री	..	..	सोरांव (पूर्व)
३९१	सईद अहमद अन्सारी, श्री	..	..	ज्वालापुर
३९२	सजीवनलाल, श्री	..	..	हसनगंज
३९३	सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती	..	..	दादरी
३९४	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	..	वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९५	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	..	..	सरजू
३९६	सियादुलारी, श्रीमती	..	..	करवी
३९७	सीताराम, डाक्टर	..	..	सिलहट
३९८	सीताराम शुक्ल, श्री	..	..	हरैया (पूर्व)
३९९	सुक्खनलाल, श्री	..	..	हसनपुर
४००	सुखरानी, श्रीमती	..	..	फतेहपुर
४०१	सुखरामदास, श्री	..	..	टांडा
४०२	सुखलाल, श्री	..	..	औरैया
४०३	सुखीराम भारतीय, श्री	..	..	फूलपुर
४०४	सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री		..	मऊ
४०५	सुनीता चौहान, श्रीमती	..	..	सलोन
४०६	सुन्दरलाल, श्री	..	..	फरीदपुर
४०७	सुरथबहादुर शाह, श्री	..	..	निघासन
४०८	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	..	हमीरपुर
४०९	सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार	..	..	पुवायां
४१०	सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	..	..	बिसवां
४११	सुल्तान आलम खां, श्री	..	..	कायमगंज
४१२	सूरतचन्द रमोला, श्री	..	..	टेहरी
४१३	सूर्यबली पांडेय, श्री	..	..	हाटा
४१४	सोहनलाल धुसिया, श्री	..	..	बान्सी (पूर्व)
४१५	हमीदुल्ला खां, श्री	..	..	चारदा
४१६	हरकेशबहादुर, श्री	..	..	पट्टी
४१७	हरदयालसिंह, श्री	..	..	जलालाबाद
४१८	हरदयालसिंह पिपल, श्री	..	..	हाथरस
४१९	हरदेवसिंह, श्री	..	..	देवबन्द
४२०	हरिदत्त कांडपाल, श्री	..	..	रानीखेत (उत्तर)
४२१	हरिश्चन्द्रसिंह, श्री	..	..	दातागंज
४२२	हरिहरबख्शसिंह, श्री	..	..	पाली
४२३	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	..	सीतापुर
४२४	हरीसिंह, श्री ..	..	..	किथौर
४२५	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री		..	मुरादाबाद शहर
४२६	हिम्मतसिंह, श्री	..	..	डिबाई

क्रम संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन क्षेत्र
४२७	हुकुमसिंह विसेन, श्री	..	..	कैसरगंज
४२८	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	..	..	मंझनपुर
४२९	होरीलाल यादव, श्री	..	..	कन्नौज
४३०	(रिक्त)	..	..	इगलास
४३१	(रिक्त)	..	..	रानीखेत दक्षिण

प्रेस्टाट बहुत

हिंदुस्तान अखबार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री रामनारायण त्रिपाठी, बी० एस—सी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस० ।

सचिव विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।

श्री गिरधारीलाल, बी० ए० ।

संसद सदस्य

प्रेक्षागृह अहमदाबाद

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राज्यपाल की ओर से पत्रों का उत्तर न मिलने तथा अध्यादेशों के जारी होने के कारण समाजवादी दल द्वारा सदन त्याग	१
राज्य विधान मंडल के सदस्यों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण ..	१–७
उपस्थित सदस्य	८–१२
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१३
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ..	१३
महापालिका के कार्य के लिये नियुक्त वकीलों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें विनियमित करने के लिये नियमावली (मेज पर रखी गयी)	१४
कार्यसूची में परिवर्तन पर आपत्ति	१४–१५
श्री हबीबुर्रहमान खां के निधन के संबंध में सूचना	१५
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१५
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१५–१६
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित नियमावली (मेज पर रखी गयी)	१६
जौनसार बावर बन्दोबस्त नियमावली, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१६
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) नियमावली (मेज पर रखी गई)	१७
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन नियमावली ..	१७
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (छठी) आज्ञा, १९६० (मेज पर रखी गई)	१७
यू० पी० पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन	१७
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१८
उत्तर प्रदेश विनियोग लेखे १९५७–५८ लेखा परीक्षा (आडिट) प्रतिवेदन, १९५९ एवं वित्त लेखे १९५७–५८ की हिन्दी प्रतिलिपि (मेज पर रखी गई) ..	१८–१९
उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपेरेशन) अनुपूरक अध्यादेश, १९६० (मेज पर रखा गया)	१९
कोर्ट-फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० (मेज पर रखा गया) ..	१९
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० (मेज पर रखा गया) ..	१९
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६० (मेज पर रखा गया) ..	१९
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६० (मेज पर रखा गया)	१९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (मेज पर रखा गया)	१९
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ (मेज पर रखा गया) ..	१९
दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	२०
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	२०
श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (निर्णय स्थगित)	२०–२३
श्री राज्यपाल द्वारा आहूत बैठक को निरस्त कराने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (निर्णय स्थगित) ..	२३–२८
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना	२८–२९
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	३०
उत्तर प्रदेश स्टेट हेल्थ बोर्ड में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३०
लोकसभा-सदस्या श्रीमती सुचेता कृपालानी के प्रादेशिक मन्त्रित्व पर आपत्ति	३०–३१

संसद भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

132552

सोमवार, ६ फरवरी, १९६१

विधान परिषद् के श्री सभापति तथा विधान सभा के श्री अध्यक्ष के साथ श्री राज्यपाल विधान मंडल के समक्ष अभिभाषणार्थ दिन के ११ बजे सभा मंडप, लखनऊ में पधारे ।

श्री राज्यपाल की ओर से पत्रों का उत्तर न मिलने तथा अध्यादेशों के जारी होने के कारण समाजवादी दल द्वारा सदन त्याग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—माननीय राज्यपाल महोदय, मैंने आप को एक पत्र लिखा था कि हमारे प्रदेश की राज्य भाषा अंग्रेजी न होकर हिन्दी हो, जो राष्ट्र भाषा है । आपने उस संबंध में हमे पूरी सूचना नहीं दी और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में ब्रिटेन की रानी का स्वागत इस अपार धन के अपव्यय के साथ किया जा रहा है जिससे कि हमारे प्रदेश के सम्मान की प्रतिष्ठा गिरती है । हमने आप को एक पत्र लिखा था, ३ दिन पूर्व कि रानी का स्वागत जिस गरीब देश में इस अपव्यय के साथ किया जा रहा हो उसका परिष्कार आपकी ओर से होना चाहिये, जनता की ओर से होना चाहिये । उस संबंध में भी आप की ओर से कोई उत्तर हमारे पास आया नहीं है । इसके विपरीत आपने अनेक अध्यादेश जारी किये हैं जो जनतंत्र के विरोधी हैं । इन तमाम बातों के होते हुये, आप के प्रति आदर और सम्मान रखते हुये भी, आप के सम्बोधन को सुनना असम्भव हो रहा है । इसलिये राष्ट्र के सम्मान के लिये, प्रदेश की गरीबी मिटाने के लिये और अपनी वाणी को बुलन्द करने के लिये हम आप के अभिभाषण का त्याग करते हैं ।

(समाजवादी दल के सदस्य तत्पश्चात् सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि यह प्रजातन्त्र नहीं है, यह गणतन्त्र नहीं है, यह तो पूंजीवाद है । आप केरल से कृपा कर आये हैं इसके लिये आप का धन्यवाद है, परन्तु न हमारा सरकार के प्रति विश्वास है और न आप के प्रति और इसलिये हम सदन से वाक-आउट करते हैं ।

(तत्पश्चात् श्री टीकाराम पुजारी भी सदन त्याग कर चले गये ।)

राज्य विधान मंडल के सदस्यों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण

विधान सभा के अध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति तथा विधान-मण्डल के सदस्यगण,

नव वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ होने के अवसर पर, आपको दूसरी बार सम्बोधित करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । यह आपको विदित ही है कि मैंने १९६० में २५ जुलाई (25th July) को आपको सम्बोधित किया था । मुझे बताया गया है कि कुछ वर्षों से यह प्रथा चली आ रही है कि नये वर्ष का प्रथम सत्र, बजट-सत्र के बाद आरम्भ होता है । अतएव, इस वर्ष इसमें किंचित परिवर्तन यह हुआ है कि इस वर्ष का नयासत्र बजट प्रस्तुत करने के पूर्व आरम्भ हो रहा है ।

आपको यह ज्ञात है कि विधान सभा का सत्र तथा विधान परिषद् की बैठक पहले १२ दिसम्बर, १९६० (12th December, 1960) से बुलाई गई थी। किन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण जिनसे आप भलीभांति परिचित हैं, मेरे लिये विधान सभा सम्बन्धी विज्ञप्ति का निरसन तथा विधान परिषद् का सत्रावसान करना आवश्यक हो गया, जिससे कि मैं आपको अर्थात् दोनों सदनों के सदस्यों को, उसके बजाय ६ फरवरी (6th February) से समवेत होने के लिये आहूत कर सकूं।

आप जानते ही हैं कि जब मैंने पिछली बार आपको सम्बोधित किया था तब से मेरी सरकार में परिवर्तन हो गया है। यह परिवर्तन मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द के पदत्याग के फल-स्वरूप आवश्यक हुआ। उनके श्रेष्ठ गुणों एवं उनकी योग्यता तथा उपलब्धियों से आप भली-भांति परिचित हैं और उन्हें यहां पर दुहराने की आवश्यकता नहीं है। उनके नेतृत्व से वंचित होने के कारण इस राज्य की हानि ही हुई है। उनका इस राज्य से मंत्री एवं मुख्य मंत्री के रूप में कई वर्षों तक निरन्तर सम्पर्क नवयुवकों के लिये प्रेरणा का स्रोत रहा है।

किन्तु हम इन तथ्यों से सान्त्वना प्राप्त कर सकते हैं कि एक तो उनका परामर्श हमें मिलता रहेगा और जब कभी हमें आवश्यकता पड़ेगी वह हमें तुरन्त प्राप्त हो सकेगा और दूसरे यह कि उनके उत्तराधिकारी श्री चन्द्रभानु गुप्त के रूप में हमें एक ऐसे सुपरीक्षित तथा योग्य प्रशासक एवं अध्यवसायी कार्यकर्त्ता मिले हैं जिन्होंने शासन के कार्यों में लगे रहने के समय विश्राम करना नहीं सीखा है। मुझे विश्वास है कि वह अपनी शक्ति, प्रेरणा तथा कर्त्तव्यपरायणता की भावना से निःसंदेह राज्य का मार्ग सम्पन्नता तथा समृद्धि के वांछित लक्ष्य की ओर प्रशस्त करेंगे।

आप सभी यह जानते हैं कि मेरे वित्त मंत्री इसी सत्र में वर्ष १९६१-६२ (1961-62) का अपना बजट प्रस्तुत करेंगे और अपने बजट-भाषण में सरकार की विभिन्न विकास सम्बन्धी तथा अन्य कार्यवाहियों एवं राज्य द्वारा द्वितीय आयोजना की अवधि में की गई प्रगति तथा उन विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं (Schemes and Projects) का, जिनको तृतीय आयोजना की अवधि में प्रारम्भ तथा पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है, अधिक विस्तृत विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अतएव मैं उन समस्त तथ्यों का वर्णन आपके सामने नहीं करना चाहता और पुनरावृत्ति से बचकर आपके समक्ष यथासंभव संक्षेप में उन कारणों को रखूंगा जिनसे प्रेरित होकर मैंने आपको इस सत्र के लिये आहूत किया है।

ऐसा करने के पूर्व मैं आप से इस वर्ष अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली तृतीय पंचवर्षीय आयोजना की तैयारी के संबंध में की गई प्रगति का संक्षेप में उल्लेख कर देना चाहता हूं। पिछले सत्र में आपको इस आयोजना की रूपरेखा के संबंध में विचार-विमर्श करने का अवसर मिला था। तब से इस आयोजना के प्रारूप के सम्बन्ध में मेरी सरकार के प्रतिनिधियों तथा आयोजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रालयों में परस्पर विचार-विमर्श हुआ है और वह प्रायः अन्तिम रूप से तैयार हो चुकी है। आयोजना आयोग ने राज्य की तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के लिये कुल चार सौ सत्तानवे करोड़ रुपये की अधिकतम धनराशि निर्धारित करने की सिफारिश की है। राज्य आयोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसा सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण उत्पन्न किया जाय जिससे लोगों को निजी धन के विनियोजन के निमित्त आवश्यक प्रेरणा मिले। इस प्रकार कृषि सम्बन्धी उत्पादन के बाद, ऐसी परिस्थितियां पैदा करने पर जोर दिया गया है जिनसे राज्य का शीघ्रगति से औद्योगीकरण हो सके, विशेषतः विद्युत् विकास की दिशा में जिसमें कि दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। तृतीय आयोजना के लिये प्रस्ताव तैयार करते समय शिक्षा, विशेषतः प्रारम्भिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के पिछड़े होने का भी ध्यान रखा गया है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति के हेतु, सामुदायिक विकास खंडों द्वारा निधियों के अविलम्ब तथा लाभप्रद उपयोग के लिये प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य के विभिन्न खंडों का उनके द्वारा किये गये कार्य के आधार

पर वर्गीकरण करने का निश्चय किया है । यह वर्गीकरण विशेषतः कृषि-क्षेत्र में किये गये कार्यों के आधार पर होगा । खंडो को, उनके द्वारा उत्पादन-क्षेत्रों में किये गये कार्य के आधार पर, सुख-सुविधा कार्यक्रम (Amenities Programme) के लिये भी निधियां प्रदिष्ट की जायेंगी ।

आपको उस प्रचुर विकास की पहले ही से जानकारी है, जो मेरी सरकार द्वारा राज्य की उत्तरी सीमा के, जो कुछ समय से हमारी चिन्ता का विषय बनी हुई है, निकटवर्ती क्षेत्रों में किया जा रहा है । इस क्षेत्र के सर्वेक्षण से प्रकट होता है कि वहां विकास की मुख्य संभावनायें खनिजों के समन्वेषण तथा विदोहन, जल शक्ति के विकास, उद्यान कर्म, फलों के उपयोग, रेशम के कीड़ों के पालन, जड़ी बूटियों के विकास, वन सम्पत्ति के विदोहन, यातायात के विकास, परिवहन तथा पर्यटन की सुविधा तथा पशुपालन, विशेषतः भेड़ो के पालन इत्यादि से सम्बन्ध रखती हैं । इन सभी विशिष्ट समस्याओं को प्रभावपूर्ण रूप से हल करने के लिये, उत्तराखंड डिवीजन की तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में अट्ठाइस करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अधीन की गई कार्यवाहियों से ग्राम तथा लघु उद्योगों और साथ ही बड़े उद्योगों के और अधिक विकास के लिये एक मजबूत ढांचा स्थापित करने में बड़ी सफलता मिली है । तृतीय पंचवर्षीय आयोजना का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, भारी उद्योगों के सहायक उद्योग के रूप में लघु उद्योगों का विकास करना है । राज्य कार्यक्रम के एक अंग के रूप में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, लघु औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जा रहे हैं । इसी प्रकार बड़े तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों की स्थापना में सहायता देने के लिये विकसित स्थलों (developed sites) की व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है । सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में, मध्यम तथा बड़े स्तर के उद्योगों के विकास की नई योजनायें तैयार करने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिये हाल ही में एक भारी उद्योग समिति स्थापित की गई है ।

स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् की सिफारिश पर तथा समुचित विचार करने के उपरान्त मेरी सरकार ने वर्ग १ (Class I) तथा वर्ग २ (Class II) की नगरपालिकाओं को सरकार की पूर्व-स्वीकृति से दो कार्य करने की सलाह दी है, प्रथम तो उन वस्तुओं को तैयार करना जिनके लिये संबंधित नगरपालिका क्षेत्र को विशेष सुविधायें प्राप्त हों, और दूसरे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक आस्थानों की स्थापना करना । ऐसा करने से नगरपालिकाएं अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करने के अतिरिक्त लघु उद्योगों का विकास और उनकी उन्नति करेंगी और इस प्रकार वे राज्य के औद्योगीकरण में अपना योग-दान कर सकेंगी ।

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना एक महत्वाकांक्षी आयोजना है और उसका उद्देश्य राज्य की जनता के जीवन-निर्वाह की स्थितियों में सुधार करना है । इसके लिये निश्चय ही यह अपेक्षित है कि समस्त परिहार्य व्यय में कटौती की जाय और तदनुसार जो व्यय नितांत आवश्यक न हो उसे स्थगित करना होगा या उसमें कमी करनी होगी । मुझे प्रसन्नता है कि मेरी सरकार इस सम्बन्ध में सभी सम्भव प्रयत्न करती रही है और अपेक्षित वातावरण पैदा करने के लिये उसने मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के वेतन तथा भत्तों में कमी करने और वैतनिक सभा-सचिवों के स्थान पर अवैतनिक सभा-सचिव रखने का निर्णय किया है । मेरी सरकार ने इस निर्णय को ७ दिसम्बर, १९६० (7th December, 1960) से लागू करने का भी निश्चय किया था, किन्तु चूंकि संबद्ध अधिनियमों में संशोधन किये बिना ऐसा नहीं किया जा सकता था और विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिये मैंने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उप-मंत्री तथा सभा-सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६० [the U. P. State Legislature Officers, Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries (Salaries and Allowances and Miscellaneous Provisions) Ordinance, 1960] प्रख्यापित किया । आपसे इसी सत्र में इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये एक विधेयक पारित करने की अपेक्षा की जायगी ।

मेरी सरकार, प्रशासन की कार्य-दक्षता में वस्तुतः कोई कमी लाये बिना ही उसमें मितव्ययिता करने और राजस्व के प्राप्य साधनों का उपयोग करने के लिये सभी सम्भव कार्यवाहियां भी कर रही है जिससे कि तृतीय आयोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये समस्त साधनों का एकत्रीकरण किया जा सके। जब कि सरकार इस कठिन कार्य में लगी हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के उस निर्णय से उस पर अचानक बज्रपात हुआ जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ (the Uttar Pradesh Sugarcane Cess Act, 1956) असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और फलतः राज्य के समक्ष कुल पचास करोड़ रुपय से भी अधिक के राजस्व से वंचित हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया। इस स्थिति का सामना करना ही था और उसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता था। मेरी सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है जिससे वह वसूलियां वैध हो जाती हैं जो गत वर्षों में गन्ना उपकर अधिनियम के अधीन की जा चुकी हैं। राजस्व के इस साधन को बिना किसी कमी के बनाये रखने के लिये मैंने उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ [the U. P. Sugarcane (Purchase Tax) Ordinance, 1961] प्रख्यापित किया, जिसके अधीन फैक्ट्रियों तथा गुड़, राब और खंडसारी शकर बनाने वाली इकाइयों द्वारा गन्ने की खरीद पर कर लगाया गया है। आप इससे सहमत होंगे कि उपर्युक्त कार्यवाहियां करके मेरी सरकार हमारे राजस्व पर बन आये भारी संकट को दूर करने में सफल हुयी है। इस अध्यादेश के उपबन्धों को पुनरधिनियमित करने के लिये एक विधेयक आपके समक्ष रखा जायगा जिसे इसी सत्र में पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायगी।

कोर्टफीस ऐक्ट, १८७० (Court Fees Act, 1870) को उत्तर प्रदेश में, उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करके आप अपीलों के ज्ञापन पर कोर्टफीस की दर में वृद्धि करने के सिद्धान्त को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, किन्तु बम्बई राज्य बनाम सुप्रीम जनरल फिल्म्स ऐक्सचेंज लिमिटेड, के मुकदमे में दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हमारे राज्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा और जिसके फल-स्वरूप उसे राजस्व की हानि भी उठानी पड़ी। इस हानि से बचने के लिये मैंने एक दूसरा अध्यादेश अर्थात् कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० [the Court Fees (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1960] प्रख्यापित किया जिसे इसी सत्र में विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। अतएव, मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि इस प्रयोजन के निमित्त आपके विचारार्थ एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाय।

उत्तर प्रदेश-बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६० [the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Bill, 1960] और उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० [the U. P. Sales of Motor Spirit Taxation (Amendment) Bill, 1960], ऐसे दो विधान हैं जो विधान परिषद् में जाने तथा अन्तिम रूप से पारित किये जाने के पूर्व, विधान सभा के समक्ष विचाराधीन हैं। यदि ये विधेयक आपके द्वारा पारित हो जाते हैं, तो उनसे राज्य के साधनों में और भी वृद्धि हो जायगी।

अपने पिछले अभिभाषण में मैंने उस आमूल परिवर्तन का उल्लेख किया था जो सहकारिता आन्दोलन की नीति के सम्बन्ध में मेरी सरकार द्वारा धीरे-धीरे तथा स्थिरतापूर्वक किया जा रहा है और उस विधेयक का भी उल्लेख किया था जिसे उक्त परिवर्तन द्वारा दी जाने वाली चुनौती का सामना करने के लिये आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। तदनुसार, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० (the Uttar Pradesh Co-operative Societies Bill, 1960) विधान सभा में उसके पिछले सत्र में पुरःस्थापित किया गया था। मुझे आशा है कि आप इस विधेयक को पारित करेंगे और वह बहुत शीघ्र परिनियम-पुस्तक में स्थान प्राप्त कर लेगा।

लोक प्रशासन के विभिन्न अंगों के कार्यों को पुनः निर्धारित करने के उद्देश्य से, जिससे कि उसमें जनता के भाग लेने का क्षेत्र बढ़ जाय, मेरी सरकार द्वारा सतत् प्रयत्न किये जा रहे ह। लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की नई प्रक्रिया के अन्तर्गत पंचायतों को पहले ही आधारभूत इकाइयों में परिवर्तित किया जा चुका है। गांव सभाओं तथा पंचायतों के निर्वाचनों का, जो जनवरी, १९६१ (January, 1961) में किये जाने वाले थे, मार्ग प्रशस्त करने के लिये आपने पिछले सत्र में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६० [the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 1960] पारित किया था। ऐसी कतिपय बाधाओं को, जो सामने आ रही थीं तुरन्त दूर करना आवश्यक था और चूंकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था अतएव मैंने उक्त बाधाओं को दूर करने और गुप्त मतपत्र द्वारा गांव सभा के प्रधान के निर्वाचन की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० [the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 1960] प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये एक विधेयक इसी सत्र में आपके विचारार्थ पुरःस्थापित किया जायगा।

मेरी सरकार द्वारा इसी दिशा में उठाया गया दूसरा कदम जिला परिषदों का संघटन है। उक्त प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (the Uttar Pradesh Kshettra Samities and Zila Parishads Bill, 1960) विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया था। यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित हो चुका है और उस पर विधान परिषद् द्वारा विचार होना शेष है। इसी बीच अन्तरिम जिला परिषदों की अवधि को, जो कि ३१ दिसम्बर, १९६० (31st December, 1960) को समाप्त हो रही थी, बढ़ाया जाना आवश्यक था। तदनुसार, मुझे उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ (the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad Adhiniyam, 1958) की अवधि को ३० जून, १९६१ (30 June, 1961) तक बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६० [the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad (Sanshodhan) Adhyadesh, 1960] प्रख्यापित करना पड़ा। इस अवसर का उपयोग उक्त अधिनियम को इस प्रकार संशोधित करने के लिये भी किया गया, जिससे कि जिला मैजिस्ट्रेटों के स्थान पर निर्वाचित अध्यक्षों की व्यवस्था की जा सके। इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये एक संशोधक विधेयक पुरःस्थापित किया जायगा और यह आशा की जाती है कि आप इन दोनों विधेयकों को शीघ्र ही पारित कर देंगे।

मेरी सरकार मलिन बस्तियों के गरीब निवासियों की रहन-सहन की दशाओं के प्रति पूर्णतः जागरूक है और कोई दो वर्ष पूर्व आरम्भ की गई मलिन बस्तियों की सफाई की योजना प्रगति कर रही है। तदनुसार उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निपातन) विधेयक, १९६० [the U. P. Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill, 1960] विधान परिषद् में इस उद्देश्य से पुरःस्थापित किया गया था कि मलिन बस्तियों की सम्पत्तियों के सुधार, अध्याप्ति अथवा निपातन की व्यवस्था की जा सके और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों को मकानों से बेदखली के मामलों में परेशानी से बचाया जा सके। इस विधेयक को शीघ्र पारित करने की आवश्यकता है जिससे कि इस कार्य में सुविधा हो तथा वह शीघ्रता से किया जा सके।

आपने उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ [the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958] उत्तर प्रदेश के नगरों में क्रम-विहीन विकास को रोकने के लिये अधिनियमित किया था। किन्तु इस अधिनियम के प्रचलन की अवधि में यह पता चला कि वह ऐसी भूमि पर इमारतों के निर्माण पर लागू नहीं होता, जो किसी गांव की राजस्व अभिलेखों में यथा उल्लिखित आबादी के स्थल के अन्तर्गत हो। इस कठिनाई को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० [the Uttar Pradesh (Regulation of Building

Operations) (Second Amendment) Bill, 1960] विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया था, जिस पर इसी सत्र में विचार करने और उसे पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायगी।

उत्तर प्रदेश इवैकुई इंट्रेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६० [the Uttar Pradesh Evacuee Interest (Separation) Supplementary Bill, 1960] ६ अक्तूबर, १९६० (6 October, 1960) को विधान सभा में इस आशा से पुर:स्थातिप किया गया था कि वह विधान मंडल के दोनों सदनों से पारित होकर अधिनियम बन जायगा और उस दिनांक से प्रचलित हो जायगा जिससे कि उक्त विषय पर केन्द्रीय अधिनियम प्रचलित होता। चूंकि विधान मंडल के दोनों सदन इस विधेयक को पारित किये बिना ही स्थगित हो गये और तत्पश्चात् उनका सत्रावसान हो गया, अतएव मैंने उत्तर प्रदेश इवैकुई इंट्रेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक अध्यादेश, १९६० [the Uttar Pradesh Evacuee Interest (Separation)Supplementary Ordinance, 1960] प्रख्यापित किया जो सदनों के आज पुन: समवेत होने से छ: सप्ताह की समाप्ति पर निष्प्रभाव हो जायगा अतएव यह आवश्यक है कि यह विधेयक उक्त अध्यादेश के समाप्त होने से पूर्व ही अधिनियम बन जाय।

"ईंटों" और "जलाने की लकड़ी" पर नियंत्रण लगाने का अधिकार देने वाले उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९५३ [the Uttaar Pradesh Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1953] की अवधि २५ जनवरी, १९६१ (25 January, 1961) को समाप्त होने वाली थी और मेरी सरकार ने यह आवश्यक समझा कि इन वस्तुओं के नियंत्रण का अधिकार तीन वर्ष की अवधि के लिये और बनाये रखा जाय। अतएव मैंने उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ [the Uttar Pradesh Control of Supplies (Temporary Powers) (Amendment) Ordinance, 1961.] प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये इस सत्र में एक विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायगा।

राज्य की विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में हाल की प्रवृत्तियां तथा घटना-चक्र मेरी सरकार के लिये गम्भीर चिन्ता के विषय रहे हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं की जांच करने तथा उस क्षेत्र में सुधार के निमित्त उपाय एवं साधनों का सुझाव देने के सम्बन्ध में नियुक्त आयोग को उसके विचारार्थ निर्दिष्ट विषयों की समस्त बातों की जांच करने में बहुत समय लगने की संभावना है। किन्तु इस बीच में सरकार ने यह अनुभव किया है कि उप-कुलपतियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विभिन्न विश्वविद्यालय अधिनियमों द्वारा विहित की गई प्रक्रिया आशा के अनुरूप सफल नहीं हो सकी है। अतएव, यह प्रस्ताव है कि उप-कुलपतियों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर उनके चयन की प्रणाली अपनायी जाय। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के संगत उपबन्धों को संशोधित करने के लिये एक विधेयक शीघ्र ही विधान मंडल में पुर:स्थापित किया जायगा। इस अवसर का उपयोग विभिन्न विश्वविद्यालय अधिनियमों के अन्य उपबन्धों के संशोधन के लिये भी किया जायगा जिससे कि विश्वविद्यालय में दक्षतापूर्वक कार्य होने लगे।

इसके अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे विधान (legislative measures) हैं अर्थात् मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० [the Motor Vehicles (U. P. Amendment) Bill, 1960], उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६० [the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Bill, 1960] और उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६० [the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention

of Dissipation of Properties) Temporary Powers Bill, 1960] जो आपके समक्ष पहले ही से विचाराधीन हैं और जिन पर आपको इस सत्र में विचार करना होगा।

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व, मैं तीन अन्य विधानों का उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्हें वाणिज्यिक अधिष्ठानों के श्रमिकों तथा कर्मचारियों की दशा सुधारने के उद्देश्य से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मेरी सरकार का विचार है। यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ (the U. P. Industrial Disputes Act, 1947) के प्रचलन से प्राप्त अनुभव से उसके कुछ दोषों तथा कमियों का पता चला है और उन दोषों को दूर करने के लिये आपके समक्ष एक व्यापक विधेयक अर्थात् उत्तर प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक (the U. P. Industrial Relations Bill) प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। यू० पी० शाप्स ऐण्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ (the U. P. Shops and Commercial Establishments Act, 1947) में भी काफी बड़े परिवर्तन अपेक्षित हैं जिससे कि राज्य के वाणिज्यिक अधिष्ठानों और दूकानों में नियोजित व्यक्तियों के कार्य तथा नियोजन की दशाओं को विनियमित करने के लिये उसे अद्यावधिक रूप दिया जा सके। यू० पी० शाप्स ऐन्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स विधेयक (the U. P. Shops and Commercial Establishments Bill) को भी आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त कुछ समय से इस बात की मांग की जा रही है कि सवेतन त्यौहारों की, तथा राष्ट्रीय, छुट्टियां प्रदान करने के सम्बन्ध में, जो अब विभिन्न उद्योगों में भिन्न-भिन्न प्रकार से दी जाती हैं, कुछ एकरूपता होनी चाहिये। इस मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विधान मंडल में उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक (the U. P. Industrial Establishments National Holidays Bill) पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

विधायी कार्यों की चर्चा करते हुये मुझे स्मरण हो आता है कि गत जुलाई में आपको सम्बोधित करते समय मैंने कहा था कि इस राज्य में एक स्थायी विधि आयोग (Permanent Law Commission) की स्थापना का प्रश्न सक्रिय रूप से मेरी सरकार के विचाराधीन है। मुझे आपके समक्ष यह कहते हर्ष होता है कि मेरी सरकार ने अब इस विषय में निर्णय ले लिया है और एक स्थायी विधि आयोग की स्थापना शीघ्र ही की जायगी।

मैं अपना भाषण इस आशा के साथ समाप्त करता हूं कि आप, अपनी निःस्वार्थ कर्त्तव्यनिष्ठा तथा विवेचनात्मक बुद्धि से उस जनता को, जिसके आप प्रतिनिधि हैं, समृद्ध बनाने के कार्य में पूर्ववत् संलग्न रहते हुए, अथक परिश्रम एवं उत्साह से अपने प्रयास जारी रखेंगे तथा किसी ऐसे अन्य विचार से जिससे समाज तथा इस राज्य की प्रगति के मार्ग में बाधा पड़ सकती हो, अपने को विचलित न होने देंगे। ईश्वर आपके भावी कार्य में आपकी सहायता करे।

जय हिन्द !!

श्री महमूद हुसैन खां (जिला मुरादाबाद)---जनाबवाला, जहां और नई बातें देखने में आईं, एक नई बात यह भी देखने में आई कि एड्रेस की कापियां भी हम लोगों को नहीं दी गईं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे भी वाक-आउट कर गई हों ?

श्री राज्यपाल---यह कोई सवाल जवाब का मौका नहीं है, इस बात को आनरेबिल मेम्बरान खुद जानते हैं।

(इस समय ११ बज कर ३३ मिनट पर श्री राज्यपाल ने प्रस्थान किया और तत्पश्चात् विधान मंडल के सदस्य भी चले गये।)

विधान सभा की बैठक दिन के २ बजकर १५ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८५

अक्षयवर्सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमारसिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद , श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री

जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरग़ाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखण्डेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दातासम चौधरी, श्री
दातासम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)

धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री

बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री

सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त, भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री बदलू राम ने शपथ ग्रहण की।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष—अब नियम के अनुसार मुझे श्री राज्यपाल जी के सम्बोधन को पढ़ना चाहिये। यहां की प्रथा यह रही है क्योंकि यह पढ़ा जा चुका है इसलिये मैं प्रथम भाग और अन्तिम भाग पढ़ दूंगा और यह समझा जायगा कि सम्बोधन पूरा पढ़ा गया। .....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर .....

श्री अध्यक्ष—मेरे भाषण के समय कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठता। आप कृपा करके बैठें।

तो मैं उसको पढ़े देता हूं।

"विधान सभा के अध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति तथा विधान मंडल के सदस्यगण,

नव वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने के अवसर पर, आपको दूसरी बार सम्बोधित करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यह आपको विदित ही है कि मैंने १९६० में २५ जुलाई को आपको सम्बोधित किया था। मुझे बताया गया है कि कुछ वर्षों से यह प्रथा चली आ रही है कि नये वर्ष का प्रथम सत्र, बजट सत्र के बाद आरम्भ होता है। अतएव, इस वर्ष इसमें किंचित् परिवर्तन यह हुआ है कि इस वर्ष का नया सत्र बजट प्रस्तुत करने के पूर्व आरम्भ हो रहा है। .....

मैं अपना भाषण इस आशा के साथ समाप्त करता हूं कि आप, अपनी निःस्वार्थ कर्तव्यनिष्ठा तथा विवेचनात्मक बुद्धि से उस जनता को, जिसके आप प्रतिनिधि हैं, समृद्ध बनाने के कार्य में पूर्ववत् संलग्न रहते हुए, अथक परिश्रम एवं उत्साह से अपने प्रयास जारी रखेंगे तथा किसी ऐसे अन्य विचार से जिससे समाज तथा इस राज्य की प्रगति के मार्ग में बाधा पड़ सकती हो, अपने को विचलित न होने देंगे। ईश्वर आपके भावी कार्य में आपकी सहायता करे।

जय हिन्द!"

तारीख ७, ८ और ९ को इसके ऊपर वाद-विवाद होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह था कि श्री राज्यपाल का जो अभिभाषण था वह सब सदस्यों को भेजा गया, दोनों सदनों के सदस्यों का आवाहन हुआ तो उसमें आज अल्पमत में यहां लोग आये, बहुमत बाहर रहा। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों सदनों का कांफीडेंस नहीं है, अधिकतर लोगों ने उसे सुनना नहीं चाहा। हम सब लोग श्री राज्यपाल की इज्जत करते हैं। तो यह सब होने के बावजूद, चूंकि सरकार की जो पालिसी एनन्शियेट हुई, उससे अधिकतर सदस्य सहमत नहीं हैं इसलिये मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको भाषण देने के लिये इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा। आपके पास तो पूरा अधिकार है, आप अविश्वास का प्रस्ताव यहां ला सकते हैं और आप सिद्ध कर सकते हैं कि बहुमत सरकार का नहीं है बल्कि आपका है। तो प्रस्ताव लाइये। इस तरह से इनडायरेक्ट तरीके से आप भाषण नहीं कर सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—वह तो आयेगा ही।

महापालिका के कार्य के लिए नियुक्त वकीलों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें विनियमित करने के लिए नियमावली*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से . . .

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न यहां उठाता हूं . . . . . .

श्री अध्यक्ष—पहले आप उनको पढ़ लेने दीजिये।

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३२१—म(नि) ११/११—ग—७०—कार्प—५९, दिनांक २८ जुलाई, १९६० के अधीन प्रख्यापित महापालिका के कार्य के लिये नियुक्त वकीलों (Counsels) की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें विनियमित करने के लिये नियमावली को, जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर दिनांक ७ सितम्बर, १९६० को १४ दिन के लिये रखी गयी थी और जिसके सदन की मेज पर रखे रहने की उक्त कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १७२ के उपनियम (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

कार्यसूची में परिवर्तन पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मेरा प्रश्न यह था कि अब यह सदन की कार्यवाही आरम्भ हो रही है। तो सदन की कार्यवाही आरम्भ होने में प्रश्न के बाद फिर विशेषाधिकार के प्रश्न लिये जाते हैं, सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना होती है उसे लिया जाता है, लेकिन आज जो कार्यक्रम विवरण छपा है इसमें पहले मंत्रिगण ही अपने अपने विषयों से संबंधित नियमों के संशोधन इत्यादि प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इसको बदल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—नियम ३१९ आप पढ़ें। इसमें लिखा है:—"Relative precedence of different classes of business before the House" नये रुल्स बन गये हैं। इसमें पहला है "Oath or affirmation" दूसरा है "Questions" तीसरे नम्बर पर है "Obituary references" चौथे नम्बर पर है "Papers to be laid on the table" उसके बाद ये सब चीजें आती हैं। एडजर्नमेंट मोशन्स का नम्बर १३वां है। आप को शायद पहले नियमों का खयाल रहा हो।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये। आप ही अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो हमारे सामने बड़ी दिक्कत होगी।

श्री अध्यक्ष—आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी गलती पकड़ ली बहुत अच्छा किया। नियम ३१९ यह है—"सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों की सापेक्ष पूर्वता जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्यों की, जो नीचे निर्दिष्ट किये गये हैं, सापेक्ष पूर्वता निम्नलिखित क्रमानुसार होगी"—पहले शपथ होगी, दूसरे प्रश्न, तीसरे निधन के निर्देश तथा चौथे मेज पर रखे जाने वाले पत्र। इसके बाद राज्यपाल से संदेशों की संसूचना और परिषद् से संदेशों की संसूचना। फिर है विधेयकों पर राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति के संबंध में सूचना। इसके बाद है दंडाधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों से सदन के सदस्यों की गिरफ्तारी या निरोध या रिहाई के संबंध में सूचनायें और फिर है समितियों के

---

* छापी नहीं गयी।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन, विधेयकों के संबंध में प्रवर समिति । संयुक्त प्रवर समिति के सामने आये साक्ष्य का रखा जाना, याचिकाओं का उपस्थापन और १२वें नम्बर पर है प्रश्न जिनमें विशेषाधिकार की अवहेलना अन्तर्ग्रस्त हो और १३वें नम्बर पर है कामरोकी प्रस्ताव और १४वें नम्बर पर ध्यान आकृष्ट करने की सूचनाएं ।

श्री हबीबुर्रहमान खां के निधन के संबंध में सूचना

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--मान्यवर, अभी जो क्रम आपने बतलाया उसमें सदस्यों के निधन का नम्बर पहले आना चाहिये । मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि शाहजहांपुर में एक भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री हबीबुर्रहमान खां जो इससे पहले सदन के सदस्य थे का हाल ही में निधन हो गया है ।

श्री अध्यक्ष--इसके लिये आपको हमें पहले नोटिस दे देनी चाहिये थी ।

श्री देवनारायण भारतीय--मैं समझता हूं कि यह सरकार का कर्त्तव्य है । वह सरकारी पक्ष के आदमी थे, लेकिन सरकार अपने कर्त्तव्य में उदासीन है उसे पदों को लड़ाई लड़ने से ही फुरसत नहीं है। इसलिये इस बात का अवसर आने पर मुझे कहना पड़ा ।

श्री अध्यक्ष--जहां किसी का निधन होता है तो सर्वसम्मत से बात होती है । चूंकि आज कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है , तो मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों को इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी यदि कल इसे ले लें ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स १९४० में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २१५६-बी/३०--९-५२-एच-५९, दिनांक ११ अगस्त, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो मोटर वेहिकिल्सऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ६ अक्तूबर, १९६० को सदन की मेज पर १४ दिन के लिये रखे गये थे, और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की उक्त कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुयी है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १७२ के उपनियम (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--अध्यक्ष महोदय, मैं १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में, राजस्व विभाग की शुद्धि-पत्र ६९०-आर-जेड़/१-क--२००८-डी-५९, दिनांक २५ जुलाई, १९६० ई० तथा विज्ञप्ति संख्या यू० ओ० ७५७-आर-जेड़/१-क--२००८-डी-५९, दिनांक २३ अगस्त, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमान् जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जो एक विज्ञप्ति रखी गयी, मूल में यह २३ अगस्त, को या २५ जुलाई, की निकली हुई है और यह सदन ७ अक्तूबर तक बैठा रहा है जैसा कि आपको मालूम है और यह न्याय मंत्री की तरफ से रखा जा रहा है । आपने इन्हीं न्याय मंत्री को एक दफा चेतावनी

---

*छापे नहीं गये ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

दी थी कि ये विज्ञप्तियां समय पर लायेंगे। जिसका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था और आश्वासन दिया था कि आइन्दा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन अब फिर न्याय मंत्री जी वैसा ही कर रहे हैं, इस पर आज जरा ध्यान दीजिये।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--जिन बातों के संबंध में मैंने जो आश्वासन दिया था उनकी मैंने जांच-पड़ताल की तो कोई गलती नहीं पायी। मैं इसमें भी पता लगाऊंगा और अगर कोई गलती हमारे विभाग की है तो मुनासिब कार्यवाही करुंगा। लेकिन जहां तक मेरा खयाल है कोई ऐसी गलती मिलेगी नहीं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित नियमावली*

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अध्याय ३ के अन्तर्गत बनी एवं राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७८६ (१)-आर-जेड/१-क--३६०३-५९, दिनांक २९ अगस्त, १९६० के अधीन प्रख्यापित नियमावली को उक्त अधिनियम की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये। जैसी कि मैंने पहले आपत्ति उठायी है उसी आधार पर पुनः आपत्ति उठाता हूं। जो न्याय मंत्री की तरफ से कहा गया कि जांच करने पर हमारी कोई गलती नहीं पायी गयी, लेकिन आपका स्पष्ट आदेश यह है कि जब कभी विलम्ब से यह बात रखी जाय तो उसका स्पष्टीकरण साफ-साफ देना चाहिये। वह स्पष्टीकरण तो दे नहीं रहे हैं और जांच पर टाल रहे हैं। न्याय मंत्री स्वयं अन्याय कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं चाहता हूं कि न्याय मंत्री को चाहिये कि जो आपत्ति उपस्थित की जा रही है इसकी जांच दो, तीन रोज के अन्दर ही पूरी करके सदन को उसकी सूचना दे दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--हुक्म की तामील करूंगा।

जौनसार बावर बन्दोबस्त नियमावली, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन†

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--मैं जौनसार बाबर बन्दोबस्त नियमावली, १९५७ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३०५१-सी-एच/१-ङ--७६२-५९, दिनांक ४ अक्तूबर, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जौनसार बाबर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४३ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--इस संबंध में भी मेरा पहले वाला व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--यह तो सब के लिये है।

श्री रामस्वरूप यादव--यह तो ४ अक्तूबर का है। यह तो सदन में आ भी नहीं सकता था।

---

*छापी नहीं गयी।

†छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) नियमावली*

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--मैं राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३८८७/१-सी--५७४-सी-५९, दिनांक १७ सितम्बर, १९६० के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) नियमावली, १९६० को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९ की धारा १५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष--(श्री मोतीलाल अवस्थी के खड़े होने पर) यह १७ सितम्बर की है, इसके लिये भी आपका कहना है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--जी हां ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन नियमावली*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५९ की उपधारा (२) के अन्तर्गत बनायी गयी तथा नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३८९-म/नि-१२--११-ग-१-कार्य (२)-भाग(२) -५७, दिनांक १८ अगस्त, १९६० के अधीन प्रख्यापित नगर महापालिकाओं के मुख्य नगराधिकारियों के नियोजन की शर्तों को विनयमित करने वाली नियमावली को उक्त अधिनियम की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, इसमें भी मेरी वही आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि ऐसा समझ लीजिये कि अकलमन्द को इशारा काफी होता है । ऐसे ही मंत्रियों को समझ लेना चाहिये कि यह बात हर एक के लिये लागू होगी जो कि नियम देर से उपस्थित किये जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (छठी) *आज्ञा, १९६०

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५८० की उपधारा (१) के अन्तर्गत दी गई तथा नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४४७-म/आ-६/११-ग-१७ कार्य-५९, दिनांक १९ नवम्बर, १९६० के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (छठी) आज्ञा, १९६० को उक्त धारा ५८० की उपधारा(२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० पंचायत राज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ११०२-प/३३--१२६-६०, दिनांक १६ सितम्बर, १९६०, संख्या ४४९४-प ३३--१५५ (७)-५९, दिनांक २६ अक्तूबर, १९६०, संख्या ५१४९-प/३३-३४९-६०, दिनांक, २२ नवम्बर, १९६०, संख्या ४७३२-प/३३, दिनांक २५ नवम्बर, १९६० तथा संख्या १५०-प/३३--६१, दिनांक ९ जनवरी, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

*छापी नहीं गई ।
†छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन†

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञप्ति संख्या डब्लू-एम-आर-ए-ए-एम (१) १४७४---२९(घ)---५४२-६०, दिनांक १० नवम्बर, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग लेखे १९५७-५८ लेखा परीक्षा (आडिट) प्रतिवेदन, १९५९ एवं वित्त लेखे १९५७-५८ की हिन्दी प्रतिलिपि*

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे १९५७-५८ तथा लेखा-परीक्षा (आडिट) प्रतिवेदन, १९५९ एवं वित्त लेखे १९५७-५८ तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५८ के, जिनकी अंग्रेजी प्रतिलिपि दिनांक २१ दिसम्बर, १९५९ को सदन की मेज पर रखी गई थी, हिन्दी अनुवाद को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---अध्यक्ष महोदय, यह जो मुख्य मंत्री जी ने १४ नवम्बर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, इसमें है कि "जिनकी अंग्रेजी प्रतिलिपि दिनांक २१ दिसम्बर, १९५९ को सदन की मेज पर रखी गयी थी" आज हिन्दी की प्रतिलिपि रखी जा रही है। तो आप व्यवस्था देने की कृपा करें कि कौन सी तिथि विचार करने के लिये उचित मानी जायगी और मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि यह जो प्रथा चल रही है कि पहले अंग्रेजी की प्रतियां रखी जाती हैं उसके कुछ दिन बाद हिन्दी की प्रतियां रखी जाती हैं, यह उचित नहीं है। दोनों प्रतियां साथ साथ रखी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---विनियोग लेखे जिस भाषा में होंगे, उसी भाषा में तो सही समझे जायंगे और वह सदन में रखे गये थे अंग्रेजी में। शायद यह कभी चर्चा सदन में आयी होगी कि इसकी हिन्दी भी होनी चाहिये। तो उसे हिन्दी में रख दिया गया। अनुवाद तो सदन के सदस्यों की सहूलियत के लिये कराया गया है। तो उसमें कोई आपत्ति की बात है नहीं, क्योंकि उसमें उन लोगों को सुविधा होगी जो अंग्रेजी नहीं जानते। लेकिन अंग्रेजी के लेखे ही सही मानें जायेंगे, क्योंकि यहां पर अंग्रेजी में ही पहले उपस्थित हुए थे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, आपने जो आज्ञा दी वह तो शिरोधार्य है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि दिसम्बर, १९५९ में जो प्रति अंग्रेजी में रखी गयी उसका हिन्दी अनुवाद जनवरी, सन् १९६१ में एक साल या तेरह महीने के बाद रखा जाय। यह व्यवस्था है या यह व्यवस्था है कि उसको महीना-पंद्रह दिन के अन्दर अनुवाद कर दिया जाय, कोई मियाद मुकर्रर की गयी है? १९५७ का प्रतिवेदन अंग्रेजी का अनुवाद करके १९६२ में रखा जाय तो इतनी देर न होने पाये इसकी कोई व्यवस्था है, कोई डेड स्टाप, कामा, फुल स्टाप है या जो मन में आया वह कर दिया? एक सेशन में अंग्रेजी की प्रति रखी जाय और उसका अनुवाद दूसरे सेशन में हिन्दी की प्रति रखी जाय। तो अंग्रेजी का अनुवाद कितने दिनों बाद प्रस्तुत होना चाहिये। इसकी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिये ताकि हम लोगों को पढ़ने का मौका तो मिले।

---

† छापे नहीं गये।

* छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष––देखिए, जो यहां पर अंग्रेजी में रिपोर्ट आती है, हमारा तो यह अधिकार नहीं है कि हिन्दी में उसे लिखवा दें क्यों कि आडिटर जनरल या आडिट की जो रिपोर्टें आती हैं वे अंग्रेजी में आती हैं । सदन में जिस समय यह प्रश्न उठाया गया मुझे याद आता है कि लोगों ने कहा था कि हिन्दी में होना चाहिये और सदन में रखना चाहिये । तो अनुवाद करवा कर जब सदन पहले पहल बैठा, आश्वासन देने के बाद तो उसको रख दिया । तो क्या आप समझते हैं कि इसमें सरकार ने कोई गलती की है? यह तो सदस्यों की सुविधा के लिये है । जो आपका हुक्म हुआ उसकी यह तामील की गयी ।

*उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक अध्यादेश, १९६०

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)––अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूं ।

*कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६०

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)––अध्यक्ष महोदय, मैं कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूं ।

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६०

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)––अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६०*

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)––अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उप मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूं ।

*उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६०

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)––अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूं ।

*उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)––अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

*उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) अध्यादेश, १९६१

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)––अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष––अब सचिव, विधान सभा कुछ घोषणाएं करेंगे ।

---

* छापा नहीं गया ।

दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० पर, जिसे उत्तरप्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३ अगस्त, १९६० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ अगस्त, १९६० को बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २६ अक्तूबर, १९६० को प्राप्त हो गयी और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का २१वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ अगस्त, १९६० को बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १६ सितम्बर, १९६० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २४ दिसम्बर, १९६० को प्राप्त हो गयी और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में मेरे पास तीन सूचनायें आई हैं। एक श्री राजनारायण जी की अपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है कि वह अपने कमरे से निकल कर दारुलशफा से यहां आ रहे थे, उस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई। उस सम्बन्ध में यह प्रश्न एक दफा यहां उठाया गया था और ४ मई, सन् १९६० को इसके ऊपर फैसला मैं दे चुका हूं जिसमें खास तौर से मैंने यह कहा था कि सदन के प्रिसिंक्ट्स या परिसर के अन्दर अगर यह चीज हुई होती तो यह प्रश्न उठ सकता था और चूंकि दारुलशफा सदन के परिसर में नहीं आता इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता। यह उस फैसले का मतलब था। तो उसी प्रश्न को दुबारा उठाया गया जो कि फिर उठाया नहीं जा सकता।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूं कि यह प्रश्न मैंने ही उठाया था और आपने अपने आदेश में जो बातें अभी कहीं हैं उनके अतिरिक्त यह भी कहा था कि यदि राजनारायण जी न्यायालय से निर्दोष छूट जायेंगे तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। आप यदि अपने वक्तव्य को विस्तार के साथ पढ़ेंगे तो आप उसमें यह भी पायेंगे। राजनारायण जी न्यायालय से निर्दोष छूटकर आ गये हैं। अतः मेरा निवेदन यह है कि अब विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि एक तो यह जो आपने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है उसमें क्या आपने पुलिस के ऊपर यह चार्ज लगाया है कि बैड फेथ में अरेस्ट किया? यानी जानबूझ कर बेकायदा समझते हुये अरेस्ट किया यानी गिरफ्तार नहीं करना चाहिये यह जानते हुये भी गिरफ्तार किया? क्या यह आक्षेप है उनके ऊपर? दूसरे इस प्रस्ताव में यह है कि उनकी गिरफ्तारी का उपर्युक्त बहाना बाद में अपनी अवैध तथा गलत कार्यवाही को छिपाने के लिये पुलिस अधिकारियों की ओर से किया गया। इसमें यह दिया है :---

"मैं २ मई, सन् १९६० को विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिये जा रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय से पहले ही साढ़े दस बजे उनके कमरे में मिलने के लिये समय भी निश्चित कर चुका था। दारुलशफा बी० ब्लाक की लिफ्ट से ज्यों ही उतर कर चला कि हजरतगंज के

दारोगा ने मुझे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का कारण बाद में मुझे जेल में बताया गया कि सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संगठित तथा संचालित प्रथम मई से आरम्भ हुये राष्ट्र-व्यापी सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सम्बन्ध में मैंने एक पर्चा लिखा था और उसे जनता में बटवाया था।

मेरी गिरफ्तारी का उपर्युक्त बहाना बाद में अपनी अवैध तथा गलत कार्यवाही को छिपाने के लिये ही पुलिस अधिकारियों की ओर से बनाया गया।

मेरा स्पष्ट कहना यह है कि मुझे दो मई को केवल इसलिये गिरफ्तार किया गया कि मैं विधान सभा की कार्यवाही में भाग न ले पाऊं।

विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोकना संसदीय परम्परा में निश्चय ही सदन का अवमान है.....”

यह आपने उनके ऊपर आक्षेप किया है। यह आपने कहीं नहीं लिखा है कि मैंने क्या बात कही थी। मुझे इस बात की याद नहीं पड़ती है कि मैंने यह कहा हो कि आप छूट जायेंगे तो यह प्रश्न फिर से लिया जा सकता है।

श्री देवनारायण भारतीय—श्रीमन्, यह तो प्रोसीडिंग्स देखने से मालूम हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—अच्छा तो मैं इसको अभी पोस्टपोन करता हूं। कल इसके ऊपर फैसला दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं भी कुछ निवेदन करूं इस सम्बन्ध में ?

श्री अध्यक्ष—अब कल ही कहियेगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, ऐसा है कि हो सकता है कि कल मुझको एक कैम्प में बाराबंकी जाना है तो शायद मैं कल यहां विलम्ब से आ पाऊं....

श्री अध्यक्ष—आप क्या पैरोल पर आये हैं इस बार ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, पार्टी का कैम्प लग रहा है। शायद आपने उसे कैम्प जेल समझ लिया। पार्टी के काम से जाना है तो हो सकता है कि आने में कुछ विलम्ब हो और मैं अपना निवेदन न कर पाऊं।

श्री अध्यक्ष—आप परसों आयेंगे ? परसों के लिये रख दूं ? बात यह है कि मुझे स्टडी कर लेने दीजिये। भारतीय जी ने यह कहा कि मैंने यह कहा था अपनी पहली रूलिंग में कि अगर आपको बिला वजह गिरफ्तार किया और आप निर्दोष मुक्त हुये तो इस बात को मैं कंसिडर करूंगा। तो यह जरा मुझे देख लेने दीजिये। इसके माने यह होते हैं कि वह चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह देखता हूं कि आप कृपा कर इसके पहले भी मेरी गिरफ्तारी पर यह बात कह चुके हैं कि बाद में देख लेंगे। सन् १९५८ में जब उन्नाव में मेरी गिरफ्तारी हुई थी तब भी आपने यह कहा था कि कोर्ट से छूट जायंगे तो देख लेंगे। जब मैं कानपुर में गिरफ्तार हुआ था तब भी आपने यही कहा था। मैं ज्यादा नहीं जानता किन्तु इसके पूर्व भी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में आपने यह सम्मति प्रकट की है कि बाद में इसको ले आयें। तो इन सब बातों को आप कृपया देख लें।

श्री अध्यक्ष—बाद में जब मैं उसको देख लूंगा तब आपको बतला दूंगा।

श्री राजनारायण---जब मैं पहले कानपुर से छूटा तब आपके सेक्रेटेरियेट को लिख दिया था । इस समय इतना ही हमारा निवेदन है कि पहले जब-जब हमने अपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है उन सभी अपनी व्यवस्थाओं को आप कृपया देख लें ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---इस सम्बन्ध में श्रीमन्, तथ्यों की जानकारी हम लोगों को भी करा दें । इतना मुझे स्मरण पड़ता है कि अगर गिरफ्तारी मेलाफाइडी होगी तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठ सकता है । आप कृपया बतला दें कि इस मामले में वे निर्दोष मुक्त हुये तो उनका क्या फैसला है ?

श्री अध्यक्ष---तो मैं उसको सब देख लूंगा ।

श्री राजनारायण---यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको आपके द्वारा शान्त करने का प्रयत्न कर दूं ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, मैं ही उनको शान्त कर दूंगा ।

श्री राजनारायण---हमारा क्लीयर एक्वीटल हुआ । वह फैसला अंग्रेजी में हुआ था । उसका फैसला हमारे मित्र देख सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---मुझे यह देखना है कि गिरफ्तारी मेलाफाइडी हुई थी या नहीं । विशेषाधिकार के बारे में रामस्वरूप जी वर्मा ने जो प्रश्न उठाया था वह केवल अदालती प्रश्न है । वह कहते हैं कि उनको जमानत पर छोड़ने का हुक्म दे दिया गया था । उसके बाद उसको काट दिया गया । जमानत स्वीकार की थी एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने और उसी ने उसे रद्द किया । उसके बारे में उनकी जो कुछ शिकायत है उसके लिये वह रिवीजन या अपील, कोई कानूनी कार्यवाही अदालत में कर सकते हैं । इस प्रकार से विशेषाधिकार का प्रश्न किसी जज के आर्डर के ऊपर या फैसले के ऊपर यहां सदन में नहीं उठाया जा सकता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मैं चाहता हूं भविष्य के लिये इस पर ध्यान रखा जाय । किसी सदस्य को यदि मेलाफाइडी बन्द रखें यानी स्वीकार करके फिर जमानत जुडिशियल से मन्जूर हुई किन्तु बाद में बन्द रखने की गर्ज से उसको काट दिया और दूसरे दिन भी उसको मन्जूर नहीं किया । तो इस प्रकार से बन्द रखना अवैध है ।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि अदालत की जो कार्यवाही होगी उस पर यहां बहस नहीं होगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---तब तो उनके लिये यह आसान हो जायगा कि किसी को भी बन्द रखें ।

श्री अध्यक्ष---वस्तुस्थिति देखने की यह है कि दोनों तरह से आप उस पर बहस नहीं कर सकते । एक तो आप जुडिशियरी की इन्डिपेन्डेन्स को मानते हैं और आपने अपने संविधान में भी उसको ऐसा माना है । यदि वह कोई गलती कर जायं और उस गलती पर आप बहस करना सदन में शुरू कर दें और उसको हायर जजी में न भेजें तो उससे उसकी स्वतंत्रता नहीं रहेगी । वह खत्म हो जायेगी इस पर बहस मैं सदन में नहीं होने दूंगा ।

श्री राजनारायण---जरा यह देखा जाय कि आपने जुडिशियरी की इन्डिपेन्डेन्स की बात कही कि न्यायालय जो हैं वह शासन से मुक्त हो । न्यायकारिणी का कार्यकारिणी से अलगाव हो । यहां पर आप देखें कि मैजिस्ट्रेसी का अलगाव नहीं है । इसमें जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने जमानत मंजूर कर दी, लेकिन बाद में उसको इसलिये काट दिया गया कि उनको बन्द रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष---आप सेशन कोर्ट में जाकर इस तरह की लीगल बात उठायें ।

श्री राजनारायण---यह एक इल्लीगल कार्य हुआ है जो इस सरकार के द्वारा कराया गया है। अगर इस प्रकार के प्रश्न यहां पर नहीं लायेंगे तो फिर कहां पर हम अपनी आवाज उठायें ?

श्री अध्यक्ष---इस में मैं फैसला नहीं कर सकता हूं । इस हाउस को इन बातों का जुरिस्डिक्शन नहीं है । इस प्रकार के प्रश्न यहां पर नहीं उठ सकते हैं । केवल सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यानी कोर्ट में ही आप उठा सकते हैं ।

श्री राज्यपाल द्वारा आहूत बैठक को निरस्त कराने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक दूसरा विशेषाधिकार का प्रस्ताव माननीय त्रिलोकीसिंह, नेता विरोधी दल का है जो उन्होंने इस प्रकार लिख कर सूचित किया है :---

"मैं नियम ६५ के अन्तर्गत सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि अध्यक्ष महोदय ऐसी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

आपको ज्ञात होगा कि विधान सभा की बैठक १२ दिसम्बर, १९६० को ११ बजे दिन में राज्यपाल की आज्ञानुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४, खंड १ के अधीन बुलाई गई थी । उस बैठक को श्री रघुनाथप्रसाद वर्मा, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी विज्ञप्ति संख्या २८०४/१०-/-३०८/६०, लखनऊ, ३ दिसम्बर, १९६० को निरस्त कर दिया और विज्ञप्ति में यह लिखा कि राज्यपाल महोदय ने ऐसा किया ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद १६३, खंड १ के अन्तर्गत मंत्रिमंडल अथवा मुख्य मंत्री को यह अधिकार है कि वह राज्यपाल को यह सलाह दें कि किस प्रकार उन्हें अपना कार्य करना है । नियमानुसार राज्यपाल सदन की बैठक को बुला सकते तथा उसे निरस्त कर सकते अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर । मुझे निश्चित रूप से मालूम है उस समय के मुख्य मंत्री अथवा मंत्रिमंडल ने १२ दिसम्बर, १९६० को होने वाली बैठक को रद्द करने की सलाह राज्यपाल को नहीं दी । उस समय के मुख्य मंत्री ने मुझसे ऐसा कहा ।

श्री रघुनाथ प्रसाद वर्मा से पूछने पर यह मालूम हुआ कि उन्होंने किसी अधिकारी की आज्ञा पाने पर १२ दिसम्बर, १९६० को होने वाली बैठक की विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया। पता लगाने से यह मालूम हुआ है कि श्री चन्द्रभानु गुप्त, जो उस समय मुख्य मंत्री नहीं थे उन्होंने राज्य सरकार के किसी उच्च अधिकारी से उस बैठक को रद्द करने के लिये कहा और उन्होंने ऐसा कर दिया । विज्ञप्ति से आप देखेंगे कि ३ दिसम्बर, १९६० को यह कार्य किया गया । उस दिन तक श्री चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री नहीं थे और उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । उनके कहने से किसी दूसरे अधिकारी को भी ऐसा नहीं करना चाहिये था ।

इन लोगों का यह कार्य सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है । सदन के नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद २०८ के अन्तर्गत बनाये जाते हैं और उसी संविधान के अनुच्छेद १९४, खंड ३ के अन्तर्गत विधान सभा के विशेषाधिकार वे हैं जो यूनाइटेड किंगडम के हाउस आफ कामन्स के हैं । सदन की बैठक भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४, खंड १ के अन्तर्गत बुलाई गई थी । उस बैठक को उस अनुच्छेद के अन्तर्गत मुख्य मंत्री अथवा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही रद्द किया जा सकता था । ऐसा न करना सदन के नियमों की अवहेलना है ।

मैंने इस सिलसिले में आपको पत्र भी लिखे थे कि जांच से मालूम हो जाय कि कौन सी इस अनियमित कार्यवाही का जिम्मेदार है ।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि सदन के नियमों की अवहेलना तथा सदन के सदस्यों के बीच विधान सभा की १२-१२-६० की बैठक होने में अनाधिकार रोड़ा अटकाना उसके विशेषाधिकार की अवहेलना है ।"

[श्री अध्यक्ष]

अब इस संबंध में मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि सदन को बुलाने का अधिकार श्री राज्यपाल को है और एडवाइस किसी की भी हो, लेकिन उनको ही यह अधिकार है कि वह उसको निरस्त भी कर सके । उसको निरस्त करने का भी अधिकार है ।

इसमें विरोधी दल के नेता ने एक विशेष बात कही जिसके कारण मुझे इसको पढ़ कर सुनाना पड़ा, अन्यथा मैं इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं समझता। वह विशेष बात यह है कि उन्होंने लिखा है कि--"श्री रघुनाथ प्रसाद वर्मा से पूछने पर यह मालूम हुआ कि उन्होंने किसी अधिकारी की आज्ञा पाने पर १२-१२-६० को होने वाली बैठक की विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया । पता लगाने से यह मालूम हुआ है कि श्री चन्द्रभानु गुप्त जी के कहने से उन्होंने उसको रद्द कर दिया "। तो यह आक्षेप उसमें है जिसके कारण मैंने उसको पढ़ना उचित समझा ।

फिर एक बात यह है कि निरस्त करने की जो सूचना सदस्यों को दी जाती है वह मेरे दफ्तर से दी जाती है । हमारे पास जो सूचना आई थी वह यह थी कि "जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ (ऐक्ट संख्या १०, १८९७) की धारा २१ के साथ पठित 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद १७४ के खंड १ के अधीन मिले अधिकारों का उपयोग करके, राज्यपाल महोदय, दिनांक २५ नवम्बर, १९६० के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७७१/१७--३०८-१९६०, दिनांक २५ नवम्बर, १९६० को जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा का वर्ष १९६० का द्वितीय सत्र दिनांक १२ दिसम्बर, १९६० को ११ बजे दिन से आहूत किया गया था, निरस्त करते हैं"। इसके पहले भी जो आज्ञा घोषित हुई थी सत्र को बुलाने के लिये उसमें भी श्री रघुनाथ प्रसाद वर्मा के निम्न शब्द हैं, " भारत का संविधान' के अनुच्छेद १७४ के खंड १ के अधीन मिले अधिकारों का उपयोग करके राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश विधान सभा को १२ दिसम्बर, १९६० ई० को ११ बजे दिन से विधान भवन, लखनऊ में १९६० ई० के द्वितीय सत्र के लिये आहूत करते हैं"। तो रघुनाथ प्रसाद वर्मा का नाम आज्ञा पर राज्यपाल की आज्ञा से ही उपयोग में लाया गया था । उसी प्रकार राज्यपाल की आज्ञा से निरस्त करने की विज्ञप्ति उन्होंने हमारे दफ्तर को दी ।

अब संविधान की धारा १६३ (३) में यह दिया हुआ है कि :--

"The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court."

यह उसमें दिया हुआ है । अब श्री त्रिलोकी सिंह जी ने मुझे भी एक पत्र में कुछ इस तरह की बात लिखी थी कि किसकी आज्ञा से पहली आज्ञा निरस्त हुई जो कि अवैधानिक बात हुई है और उन्होंने लिखा था कि उस समय जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने ऐसी सलाह श्री राज्यपाल को नहीं दी थी, फिर भी पहला हुक्म निरस्त कर दिया गया । वह किसकी सलाह से हुआ यह जानकारी उन्होंने मुझ से हासिल करने की कोशिश की। गौरीशंकर राय जी का भी इसी तरह का मुझसे प्रश्न था। विधान सभा की यही प्रथा रही है कि इस तरह की बातों से संबंधित विज्ञप्ति श्री राज्यपाल द्वारा ही जारी की जाती है तथा सत्र के निरस्त करने की सूचना सचिव द्वारा ही दी जाती है । हमारे दफ्तर से निम्न उत्तर दिया गया था।

"उपर्युक्त विषय से संबद्ध आपके पत्र दिनांक १२ दिसम्बर, १९६० के संदर्भ में मुझे यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि विधान सभा का सत्र बुलाने की तथा उसे निरस्त करने की दोनों ही विज्ञप्तियां श्री राज्यपाल द्वारा जारी की गई थीं" । यह श्री त्रिलोकी सिंह जी को उत्तर दे दिया है । यह जानकारी कोई कोर्ट भी नहीं पूछ सकता कि क्या सलाह मंत्री ने श्री राज्यपाल को दी है । अब यदि कोई यह आक्षेप कर दे कि मुख्य मंत्री ने सलाह नहीं दी इस कारण मैं गवर्नर से पूछूं कि आपने जो आर्डर निकाला वह मुख्य मंत्री की सलाह से निकाला या नहीं, यह करना मैंने अनुचित समझा और उक्त संविधान के परिच्छेद के होते हुये भी मैं ऐसी जानकारी हासिल करने की कोशिश करूं । अगर उनकी सलाह नहीं थी और उनके नाम से कुछ किया गया

तो श्री राज्यपाल को खुद शिकायत होनी चाहिये कि तीसरे आदमी की सलाह से कैसे आर्डर पास हो गया। मैंने तो आर्डर निकाला नहीं, मैंने कोई हुक्म नहीं दिया निरस्त करने का और किस अफसर के कहने से निरस्त करने का आर्डर निकला ? यह राज्यपाल को शिकायत होनी चाहिये थी या करनी चाहिये थी और उनके द्वारा मुझे प्वाइंट आउट करना चाहिये था कि यह गलत हुक्म हुआ है और उनके पास इस बीच में माननीय विरोधी दल के नेता को सूचना भेज देनी चाहिये थी कि आपके बगैर हुक्म दिये रघुनाथ प्रसाद वर्मा ने किसी उच्च अधिकारी की आज्ञा से कैसे निरस्त कर दिया। यदि श्री त्रिलोकी सिंह ऐसा पत्र लिखते तो राज्यपाल का जवाब मिल जाता। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं हुई है और यह आक्षेप ऐसे ही कर दिया गया है । तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या आपका मतलब यह है कि राज्यपाल ने इस तरह का हुक्म दिया ही नहीं था ?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि इस सिलसिले में आपने बहुत सफाई के साथ सब रख दिया । एक बात तो मैं यह अर्ज करूं कि मैंने राज्यपाल महोदय को लिखकर भेज दिया है कि यह गलत काम हुआ है। यह दुःख की बात है कि यही नहीं, और भी कुछ ऐसे गलत काम उनके नाम पर हुये हैं । जब उनको लिख कर भेजता हूं तो उनका एक एकनालेजमेंट आ जाता है कि तुम्हारा खत मिला और विचाराधीन है । मैं बहुत निश्चित रूप से आपकी सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में राज्यपाल महोदय स्वयं कोई काम नहीं करते हैं बल्कि वह अपने मुख्य मंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं । यही नहीं, संविधान के अन्तर्गत उन्हें कोई कार्य करने का अधिकार ही नहीं है । चुनांचे, राज्यपाल के नाम से हुक्म निकलते हैं, लेकिन करता है सब काम मंत्रिमंडल। मुझे कोई शिकायत श्रीमन्, के कार्यालय से यानी सचिव, विधान सभा से नहीं है। वह मजबूर है कि जो वहां से आया उस पर उन्होंने कार्य किया । मैंने उस समय के मुख्य मंत्री से बात की और उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि उन्होंने कोई ऐसी सलाह राज्यपाल महोदय को नहीं दी और न स्वयं ही आज्ञा दी । वहां और बहुत से लोग मौजूद थे। पूछने पर कि किसी अन्य मंत्री ने सलाह तो नहीं दी, उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं दी । श्री रघुनाथ प्रसाद जी वर्मा भी, मैं यह शब्द इस्तेमाल करूं कि पहले वह कुछ कह कर हिचकिचाये ।

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे बीच में एक बात पूछना चाहता हूं। यदि ऐसी सलाह श्री राजनारायण जी राज्यपाल को दिये होते कि कृपा कर १२ तारीख की मीटिंग आप निरस्त कीजिये और सम्पूर्णानन्द जी उस समय मुख्य मंत्री थे और उन्होंने ऐसी सलाह नहीं दी होती और श्री राज्यपाल ने श्री राजनारायण की सलाह मानकर सत्र को निरस्त कर दिया होता तो आप श्री राज्यपाल के ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न लाते या श्री राजनारायण जी के ऊपर लाते ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—और हम तो जेल में थे ।

श्री अध्यक्ष—वहां से एक पत्र भेज देते कि हम जेल में हैं और हम नहीं आ सकते हैं और आप १२ तारीख से सत्र को आगे की तारीख के लिये बढ़ा दीजिये और ऐसी सलाह यदि श्री राज्यपाल मान लेते और चीफ मिनिस्टर की न मानते तो उस वक्त श्री त्रिलोकी सिंह जी क्या कहते ?

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को अधिकार नहीं है कि बिना अपने मंत्रिमंडल या मुख्य मंत्री की सलाह के कोई कार्य भी कर सकें । एक उंगली भी वह नहीं हिला सकते । अगर आपकी आज्ञा हो तो संविधान की अंग्रेजी प्रति से मैं पढ़ दूं । अनुच्छेद १६३ देखने की कृपा करें ।

"There shall be a Council of Ministers with Chief Minister at the head, to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion."

[श्री त्रिलोकीसिंह]

सिवाय आसाम के ट्राइबल एरियाज के डिस्क्रीशनरी फंक्शन किसी भी प्रदेश के राज्यपाल को नहीं है। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भी नहीं है । अगर मान्यवर, जांच करें तो मालूम होगा कि जिस समय से संविधान लागू हुआ है, तब से आज तक जितनी बार भी सत्र बुलाया गया है या उसे प्रोरोग किया गया है तो बिना मुख्य मंत्री की या लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के मंत्री की सलाह के राज्यपाल ने स्वयं अपनी ओर से कभी कुछ नहीं किया है । अगर मान्यवर, यह प्रथा कायम करें या ऐसी रीति चल जाय कि राज्यपाल मंत्रिमंडल के होते हुये किसी दूसरे आदमी की सलाह से काम करें तो यह संविधान के बिलकुल प्रतिकूल होगा ।

श्री अध्यक्ष--जैसा आपने लिखा है उससे यह ध्वनित होता है कि निरस्त करने का कभी राज्यपाल ने आर्डर दिया ही नहीं ।

श्री त्रिलोकीसिंह--नहीं दिया । न उनके मंत्री ने दिया ।

श्री अध्यक्ष--आज के भाषण में श्री राज्यपाल ने खुद कहा था कि उन्होंने हुक्म दिया था ।

श्री त्रिलोकीसिंह--मुझे यह मालूम हुआ कि श्री चन्द्रभानु गुप्त ने चीफ सेक्रेटरी को टेलीफोन किया और चीफ सेक्रेटरी ने रघुनाथ प्रसाद वर्मा को फोन किया । मैं साबित भी कर दूंगा कि इसके बाद यह विज्ञप्ति निकाल दी । श्री सम्पूर्णानन्द उस समय बहैसियत मुख्य मंत्री काम कर रहे थे । यह भी वाकया है कि राज्यपाल उन दिनों लखनऊ में नहीं थे जिससे यह समझा जा सकता कि श्री राजनारायण जी उनके कान में कुछ कह आये और उनके कहने से यह काम हो गया या और किसी के कहने से । यह बात मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि कोई टेलीफोन, तार या खत इस सिलसिले में उनको नहीं भेजा गया । मैंने उसकी पूरी जानकारी प्राप्त की और तब यह शिकायत करने की धृष्टता की है । इस मामले में न केवल श्री चन्द्रभानु गुप्त, बल्कि कई अफसर भी शामिल हैं और राज्यपाल के नाम की आड़ ली जाती है । वाकया यह है कि . . .

श्री अध्यक्ष--आपका यह भी चार्ज है कि गुप्त जी ने जो उस समय मुख्य मंत्री नहीं थे ऐसी सलाह दी, वह एक पब्लिक के आदमी थे, और वह श्री राज्यपाल को सलाह नहीं दे सकते थे ।

श्री त्रिलोकीसिंह--वह रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सलाह नहीं दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--रिक्वेस्ट भी तो सलाह होती है, उनमें फर्क नहीं है । वह मंत्री की हैसियत से नहीं कह सकते कि सम्पूर्णानन्द जी का मंत्रित्व काल खत्म हो गया इसलिये आप मेरी बात मानो । लेकिन एक सिटीजन की हैसियत से तो वह कह ही सकते हैं । कोई भी सिटीजन किसी अफसर को या राज्यपाल को सलाह दे सकता है । अब सवाल केवल इतना है कि मैं इस बात को जांचूंगा कि जहां तक चन्द्रभानु गुप्त जी का सवाल है कि क्या उन्होंने कांसपिरेसी करके. . . .

श्री त्रिलोकीसिंह--कांसपिरेसी करके नहीं, उसमें एक से ज्यादा आदमी होते हैं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्या श्री राज्यपाल का हुक्म न होते हुये भी, किसी अफसर से मिलकर उन्होंने यह हुक्म निकलवा दिया । अगर श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने कहा कि राज्यपाल का हुक्म ले लो और अफसर ने राज्यपाल का हुक्म न लेकर आज्ञा निकाल दी हो तो उस अफसर के ऊपर बात आवेगी । अगर राज्यपाल ने आर्डर दे दिया है एक सचिव की सलाह मानकर और मुख्य मंत्री से नहीं पूछा और यह मान भी लिया जाय कि उन्होंने संविधान के विरुद्ध कार्य किया, तो भी विशेषाधिकार की चाराजोई सदन में नहीं हो सकती । बल्कि श्री राज्यपाल के कार्य के बारे में शिकायत राष्ट्रपति के पास जानी चाहिये । मुझे जो पत्र लिखा

है उसमें आपने इन बातों को ब्योरे से नहीं लिखा, लेकिन मैं इन तीनों बातों की जांच कर लूंगा। फिर जो उचित फैसला होगा वह दूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--मुझे इस संबंध में एक निवेदन करना है । आप यह जांच तो करेंगे ही कि यह कैसे हुआ । लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जैसी लोक सभा में या हर जगह परम्परा है, सरकार अध्यक्ष से यह कहती है कि वे या राष्ट्रपति से या गवर्नर से, जैसा भी केस हो, इस बात की सिफारिश करें कि सदन को बुलाया जाय ।

मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आप से किसी ने सिफारिश की या नहीं, क्योंकि लोक सभा में परम्परा यह है कि वहां के अध्यक्ष से सिफारिश की जाती है । इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा का प्रश्न है और आपके द्वारा हम यह जानना चाहते हैं कि आप अपने यहां क्या परम्परा रखना चाहते हैं सदन को आहूत करने और कैंसिल करने के बारे में । अगर इसी प्रकार से रहा तो यह भी हो सकता है कि राज्यपाल किसी दिन सदन को डिसमिस करें और यह सरकार उस डिसमिस हुए सदन को पुनः बुला ले । इसलिये आप इस पर विचार करें कि आप कौन-सी परम्परा चलाना चाहते हैं कि यह सदन किसके जरिये से आहूत किया जाय या कैंसिल किया जाय । मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां की परम्परा लोक सभा और हाउस आफ कामन्स की परम्परा के अनुसार होगी या भिन्न होगी ।

श्री अध्यक्ष--इस विषय में हमारे यहां परम्परा यह है कि गवर्नर ही सत्रावसान करते हैं और वही सदन को आहूत भी करते हैं। लेकिन लोक सभा में तरीका यह है अगर सत्रावसान करना होता है तो उसके पहले प्रधान मंत्री और अध्यक्ष सलाह कर लेते हैं । यह सलाह हो जाने के बाद राष्ट्रपति को अध्यक्ष पत्र भेजते हैं । इसी तरह से वहां लोक सभा आहूत भी होती है । लेकिन यहां आज तक यह प्रथा नहीं रही । मेरे सामने जब यह प्रश्न पहले उठाया गया था तो मैंने चाहा था कि मुख्य मंत्री से इस विषय में चर्चा करूंगा कि क्या यहां की प्रथा में कुछ परिवर्तन होना चाहिये। मैं यह बातचीत भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी से करना चाहता था जो न कर सका। लेकिन अब नये मुख्य मंत्री आ गये हैं । अभी तक इस विषय में उनसे बातचीत नहीं हो पायी है । मैं चाहता हूं कि इस विषय में नेता विरोधी दल तथा और भी दलों के जो नेतागण हैं, उनसे भी इस विषय में चर्चा करूं कि हमारे यहां कौन-सी प्रथा कायम करनी चाहिये । मैं चाहूंगा कि आप लोग सब इस विषय में अपनी सलाह देंगे । अभी तो यहां यही प्रथा है कि मुख्य मंत्री या मंत्रि-मंडल जो भी फैसला लेता है वह गवर्नर को लिख देता है और वह हमारे पास आर्डर भेज देते हैं, लेकिन वहां लोक सभा में अध्यक्ष की सलाह ली जाती है ।

श्री गौरीशंकर राय--अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रहा हूं कि लोक सभा में ही नहीं सारी दुनिया में यह परम्परा है, लेकिन हमारे यहां जो परम्परा है वह सदन के सम्मान के विपरीत है कि एक्जीक्युटिव का एक डिप्टी सेक्रेटरी या ज्वाइन्ट सेक्रेटरी अपने नाम से सदन को आहूत करे ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप भी इस विषय में हमें सलाह देने की कृपा करें ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं भी इस संबंध में निवेदन करना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष--मैंने तो अब यह विषय क्लोज कर दिया ।

श्री राजनारायण--अन्य लोग तो बोल लेते हैं, लेकिन हमारी बार यह अंकुश हो जाता है । थोड़ा-सा आप हमको भी सुन लें । जो बात आपने कही है उसी के संबंध में मैं आपसे

[श्री राजनारायण]

निवेदन करना चाहता हूं । जो संविधान की धारा १६३ (३) आपने पढ़ी वह इस प्रकार है--

"The question whether any, and if so what advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court."

आपने कह दिया कि जब कोर्ट में नहीं होगा तो हाउस में भी नहीं होगा । मैं समझता हूं कि वह होना नहीं चाहिये । मैं बहुत ही अनुग्रहीत हूं माननीय त्रिलोकी सिंह का जो उन्होंने बतलाया कि उन्होंने स्वतः माननीय सम्पूर्णानन्द जी से पूछ लिया और उन्होंने स्वतः इनसे कह दिया कि हमने कोई सलाह नहीं दी । तो यह कोई मामूली प्रश्न नहीं है । मैं समझता हूं कि अगर माननीय सम्पूर्णानन्द जी को कोई शिकायत हो तो वे अपनी शिकायत श्री त्रिलोकी सिंह जी से भी कहलवा सकते हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--आप सब के ऊपर आक्षेप करते चले जा रहे हैं ।

श्री राजनारायण--मैंने समाचार-पत्रों में माननीय त्रिलोकी सिंह जी का एक बयान पढ़ा । उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं । उन्होंने बयान दिया कि जो १२ तारीख को . . . .

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके इसे बढ़ायें नहीं ।

श्री राजनारायण--मैं दो बातें और कह देना चाहता हूं । श्री त्रिलोकी सिंह के बयान में था कि जो १२ तारीख की बैठक टाली गयी है वह अनियमित है और उस दिन जो भी सदस्य यहां आवेंगे वे आने-जाने का खर्चा तथा भत्ता लेने के हकदार हैं । तो क्या उस दिन कोई बैठक यहां हुई थी ?

श्री अध्यक्ष--आप उनसे (श्री त्रिलोकीसिंह से) भत्ता ले लीजियेगा ।

श्री राजनारायण--उस समय श्रीमन्, मैं जेल में था । लेकिन मेरी मांग यह है कि इस प्रश्न को टालना नहीं चाहिये और यह प्रश्न केवल श्री त्रिलोकीसिंह का ही नहीं समझा जाना चाहिये । इसमें तो श्री गोविन्द नारायण और श्री वर्मा की सलाह मानी गयी, अगर इस बात को मान लें कि गुप्ता जी की सलाह मानी गयी तो यह ऐसी चीज है जो अनुचित है ।

श्री अध्यक्ष--आपने कह तो दिया ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, ऐसे नालायक और निकम्मे लोगों के रहने से बड़ा अनर्थ होगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष--कई कामरोको प्रस्ताव भी मेरे पास आये हैं, लेकिन मुझे उनमें से कोई ऐसा नहीं मिला जिसके बारे में राज्यपाल के सम्बोधन संबंधी विवाद में बातें न कही जा सकें । इसलिये मैं किसी कामरोको प्रस्ताव को उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--श्रीमन्, मैंने भी एक कामरोको प्रस्ताव दिया है ।

श्री अध्यक्ष--मैंने सबको देखा है जिनमें से एक विशेष तरह का कामरोको प्रस्ताव है जो प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी अंचल में गत सप्ताह हुई वर्षा, उपल वृष्टि तथा तेज हवा से रबी की फसल से हुई क्षति के संबंध में है । लेकिन अगर वर्षा की वजह से कोई संकट आ जाय तो वह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो जाता । लेकिन उसके लिये, वाद-विवाद के लिये

थोड़ा-सा समय लेने की गुंजायश दी जाती है । जिसमें कि माननीय माल मंत्री के पास उस संबंध की जो सूचना सम्बन्धित जिलों से आ जाय वह सूचना सदन को दे सकें । क्या माल मंत्री कुछ समय देना चाहते हैं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--जी हां । अभी मैं उसकी इनफार्मेशन मंगा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--तो आप एक दिन में इसकी सूचना सदन को दे देंगे ?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि वे इसकी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि कानपुर की तरफ उनको विशेष प्रकार से दृष्टि होनी चाहिये क्योंकि वहां पर एक-एक फुट के पत्थर गिरे हैं जो तीन तीन दिन तक नहीं गल हैं । तो उसको भी भली प्रकार से देख लीजियेगा । वहां बड़ी दर्दनाक हालत हो गई है ।

श्री अध्यक्ष--मैं भी उसी रास्ते से आया हूं ।

श्री गौरीशंकर राय--आप किसी कामरोको प्रस्ताव को मानें या न मानें यह तो आपके ऊपर है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की परमानेंट सीमा सेटिलमेंट की बात सन् १९५२ से चल रही है ।

श्री अध्यक्ष--तो जो सबजेक्ट सन् १९५२ से चला आ रहा है वह कामरोको प्रस्ताव का प्रश्न नहीं हो सकता ।

श्री गौरीशंकर राय--मेरी बात सुन तो लीजिये । अभी पिछले २३ जनवरी को बिहार और उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर्स, तथा रेवेन्यू सेक्रेटरीज की बैठक उस सेटिलमेंट के इम्पलीमेंटेशन के लिये हुई थी तो बिहार वाले बैक आउट हो गये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी बैक आउट नहीं हुए हैं । अपनी तरफ से ऐसी बात कह कर उनको ऐसा करने की गुंजायश न दीजिये ।

श्री गौरीशंकर राय--मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रिंसिपिल जो परमानेंट सेटिलमेंट के लिये निर्धारित हो गया था उसको बिहार वाले यह कहते हैं कि यह प्रैक्टिकेबिल और फिजिबुल नहीं है । मुझे मालूम नहीं माननीय मंत्री जी बैक आउट वर्ड का क्या अर्थ निकालते हैं । लेकिन उनका तो कहना यही है कि सन् ५२ का एग्रीमेंट उनके लिये प्रैक्टिकेबिल व फिजिबिल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--तो जब विवाद होगा तो आप सुझाव दे सकते हैं कि क्या करना चाहिये । यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं होता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--तो मैं तो यह सुझाव देना चाहता हूं मंत्री जी को कि कामरोको प्रस्ताव को आप मंजूर करें और कम से कम दो दिन बहस हो जाय कि क्या स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष--कामरोको प्रस्ताव में दो घंटे मिलते हैं और मैंने उनसे कुछ ज्यादा समय मांगा है ।

श्री उग्रसेन--सरकार जो करना चाहती है जल्दी करे, क्योंकि आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और बस्ती में बुरी हालत है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अनुसार जो नोटिस आये हैं उनका फैसला कल करूंगा, क्योंकि मैं देख नहीं पाया हूं । पिछले वर्ष भी मैंने फैसला दिया था कि जिस दिन श्री राज्यपाल जी का सम्बोधन हो उस दिन फार्मल बिजनेस ही होना चाहिये । तो दूसरे रोज इन प्रस्तावों पर विचार हो यह मैंने पारसाल भी किया था ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--प्रश्न हमको फिर से देने होंगे ?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं नियम ५२ के जारी रहेंगे और भी अगर आप देना चाहें तो कल दे सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश स्टेट हेल्थ बोर्ड में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे ।

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश स्टेट हेल्थ बोर्ड में श्री नेकराम शर्मा, सदस्य, विधान सभा, के त्याग-पत्र से रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिये विधान सभा के एक सदस्य का चुनाव करे ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश स्टेट हेल्थ बोर्ड में श्री नेकराम शर्मा, सदस्य, विधान सभा के त्याग-पत्र से रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिये विधान सभा के एक सदस्य का चुनाव करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

लोक सभा सदस्या श्रीमती सुचेता कृपालानी के प्रादेशिक मन्त्रित्व पर आपत्ति

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारी विधान सभा की कार्य तथा प्रक्रिया नियमावली में सदस्य की परिभाषा दी गई है :

"सदस्य' का तात्पर्य सभा के सदस्य से है और उसमें मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता भी सम्मिलित हैं ।"

तो जो मंत्री हो गया वह सदस्य हो गया इस सदन का । माननीया श्रीमती सुचेता कृपालानी सदन की सदस्या हैं क्योंकि वह मंत्री हैं । साथ ही लोक सभा की भी सदस्या हैं और वह विधान परिषद् की सदस्या की हैसियत से काम करेंगी या किस प्रकार करेंगी ? तो क्या लोक सभा का सदस्य बने रहना उनके लिये नियमानुकूल है ? दोनों सदनों की एक साथ सदस्या रह सकती हैं ?

श्री अध्यक्ष--इस सदन की उस हैसियत से वह सदस्या नहीं हैं जिस हैसियत से यहां के चुने हुए सदस्य हैं । अगर वह यहां चुन जायं उस वक्त उनको एक जगह से इस्तीफा देना पड़ता है किसी नियमित समय के अन्दर । लेकिन उस तरह की सदस्या वह अभी यहां की नहीं हैं । अभी लोक सभा की सदस्या चुनी हुई हैं और उससे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और यहां की सदस्या हैं नहीं । यह डेफीनीशन तो इसलिये है कि आपके सदन के कार्य करने में आप उनको वही सम्मान या अधिकार दें जो आप किसी सदस्य को दे सकते हैं । मंत्री तो बगैर सदस्य हुए भी ६ महीने तक बन सकते हैं ।

और जब तक वह नौमीनेट नहीं होतीं या चुनी नहीं जातीं तब तक वह सदन की सदस्या अन्य सदस्यों की तरह नहीं हैं, यानी आप तो वोट दे सकते हैं, लेकिन वह वोट नहीं दे सकती हैं । वे चूंकि इस सदन की सदस्या नहीं हैं इसलिये वोट नहीं दे सकती हैं । यह आप में और उनमें अन्तर है । जब वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन में चुनाव द्वारा या नामीनेट हो कर सदस्या हो जायंगी तो इसके बारे में जो नियत समय है उस अवधि में लोक सभा से इस्तीफा वगैरह देने की बात उठ सकती है ।

श्री गौरीशंकर राय---तो क्या यह भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को सभी प्रदेशों के राज्यपाल अपने-अपने सदनों के लिये नामिनेट कर दें तो एक ही व्यक्ति देश की सभी विधान सभाओं और परिषदों में सदस्य रह सकता है ?

श्री अध्यक्ष---यह एक हाइपाथिटिकल क्वेश्चन है जिस पर आप बहस कर रहे हैं । जो आपने प्रश्न उठाया था उसका मैंने फैसला दे दिया ।

(इसके बाद सदन ३ बजकर २५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
६ फरवरी, १९६१ ।

पी० एस० यू० पी०---ए० पी०-२३६ एल० ए०-१९६१-८४५ ।